अंक २

संख्या ७

बृहस्पतिवार

१७ जुलाई, १९५२

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग २७५९]
प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २७५९—२७९९]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २७९९—२८०८]

(मूल्य ४ आने)

425 PSD.

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १७ जुलाई १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री एम०डी०रामास्वामी (अरूपुक्कोटाई)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विशेष हवाई डाक सेवा

*१८३३. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विशेष हवाई डाक सेवा द्वारा द्वितीय श्रेणी की डाक भी ले जायी जाती है?

(ख) इस समय यह विशेष हवाई डाक सेवा किन किन देशों तक है?

(ग) क्या कोई ऐसे देश हैं जो इस विशेष सेवा द्वारा भारत से संबद्ध नहीं हैं?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): विशेष हवाई डाक सेवा का मतलब द्वितीय श्रेणी की डाक को ले जाने से है जो हवाई जहाज़ द्वारा हवाई डाक की फ़ीस सहित डाक-दरों पर विदेशों को ले जाई जाती है? अतः यह द्वितीय श्रेणी की डाक से ही संबंधित है।

(ख) तथा (ग). इस समय यह सेवा, लंका और पाकिस्तान को छोड़ कर उन सभी देशों के लिये है जिनके लिये प्रथम श्रेणी की डाक के सम्बन्ध में हवाई डाक सेवा चालू है। इन दो देशों के लिए हवाई जहाज़ द्वारा ले जाई जाने वाली द्वितीय श्रेणी की डाक की जो डाक दर है वह विशेष हवाई डाक सेवा की निश्चित शुल्क से कम है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या अन्य देशों की डाक को अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर ले जाने के लिये एक सामान्य दर के बारे में भारतीय प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया था?

श्री राज बहादुर: १ दिसम्बर, १९५१ से एक सर्वसम्मति प्राप्त प्रणाली चालू है; अब सारे विश्व को कुछ खंडों में बांद दिया गया है और डाक-दर तथा शुल्क उसी आधार पर लगाये जाते हैं।

सरदार हुक्म सिंह: क्या कोई ऐसी डाक है जो इन विशेष हवाई डाक सेवाओं द्वारा कम दर पर ले जाई जाती है?

श्री राज बहादुर: जैसा मैं ने कहा, प्रथम श्रेणी की डाक के मुकाबले में जिसे हवाई जहाज़ द्वारा ले जाया जाता है; द्वितीय श्रेणी की डाक कम दर पर ले जायी जाती है।

सरदार हुक्म सिंह: टोकियो को डाक भेजने के लिये पैन अमेरिकन एयरवेज़

के बजाय ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज़ से डाक भेजने के क्या कोई विशेष कारण थे?

श्री राज बहादुर: मेरे विचार से कोई विशेष कारण नहीं था; यह इंग्लैंड द्वारा डाक ले जाने के बारे में कुछ अदल बदल किये जाने के फलस्वरूप ही हुआ है। वास्तव में इंगलैंड ने ही सन् १९४९ में द्वितीय श्रेणी की डाक को हवाई जहाज़ द्वारा ले जाने की प्रणाली चालू की थी। इसलिये बी० ओ० ए० सी० का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिये था। मैं तो यह समझता हूं।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यूरोपियन और ग़ैर-यूरोपियन डाक के भेद को समाप्त कर दिया गया है या वह अभी चालू है?

श्री राज बहादुर: अब सारी चीज़ एक खंड प्रणाली पर आधारित है जिसके अनुसार द्वितीय श्रेणी की डाक पर विभिन्न दरें लगाई जाती हैं।

श्री बंसल: मैं समझता हूं कि द्वितीय श्रेणी की डाक का मतलब बुक पोस्ट से है?

श्री राज बहादुर: इस में समाचार-पत्र छपे हुए कागज, व्यापार सम्बन्धी कागज़ नमूने के पैकेट और अंधे मनुष्यों के लिए साहित्य शामिल है।

थाईलैंड से चावल का आयात

*१८३४. **श्री एस० सी० सामन्त**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत ने थाईलैंड से चावल लेने के बारे में कोई संविदा किया है?

(ख) यदि किया है तो कितना चावल आयेगा?

(ग) क्या उस चावल को यहां लाने का प्रबन्ध कर लिया गया है और माल वहां से कब तक हटा लिया जायेगा?

(घ) चावल की दर क्या तय हुई है?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां।

(ख) १,६०,००० मैट्रिक टन।

(ग) करीब २२ हज़ार टन के अतिरिक्त सारी मात्रा को लाने का प्रबन्ध किया जा चुका है।

(घ) इस समय चावल की दर बतलाना लोक हित में नहीं होगा।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह प्रबन्ध थाईलैंड से निजी रूप से किया गया है या विश्व खाद्य संगठन के ज़रिये?

श्री करमरकर: मेरे विचार में से यह प्रबन्ध एक सरकार नें दूसरी सरकार से किया है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या थाईलैंड हमें जहाज सम्बन्धी सुविधायें देने में सहायता करता है?

श्री करमरकर: मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में चावल की कीमत में परिवर्तन हुआ है?

श्री करमरकर: संभव है परिवर्तन हुआ हो; मुझे ठीक पता नहीं।

श्री पी० सी० बोस: चावल की कीमत निश्चित करने का आधार क्या है—द्विपक्षीय या अन्तर्राष्ट्रीय?

श्री करमरकर: यह हमारे और उनके बीच तय होती है।

श्री बेलायुधन : क्या कीमत तय करने से पहले सौदा किया गया था?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर स्पष्ट है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : संविदा की अवधि क्या है ?

श्री करमरकर : यह संविदा तो इकट्ठी मात्रा के लिये किया गया था। समझौता ३१ जनवरी १९५२ को हुआ; संविदा १५ सितम्बर १९५२ को समाप्त होता है।

श्री टी० एन० सिंह : विगत काल में थाइलैंड से आयात किये गये चावल की क़िस्म के बारे में शिकायतें आई हैं । क्या सरकार ने इस बार चावल की क़िस्म के ठीक होने के बारे में कोई क़दम उठाये हैं ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं हम हमेशा पर्याप्त सावधानी से काम लेते हैं ।

श्री रघवय्या : थाईलैंड से आयात किये गये इस चावल में से कितनी मात्रा भारत के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों को दी गई है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, यह प्रश्न आन्तरिक वितरण के बारे में है और इसके लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

तार तथा टेलीफोन सेवायें

*१८३५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन नगरों के नाम जहां से जलवर्त्ती केबुल द्वारा समुद्र पार देशों के साथ सम्पर्क हैं, तथा

(ख) उन नगरों के नाम जहां से रेडियो, टेलीग्राफ़ तथा टेलीफोन सेवाओं के द्वारा समुद्र पार देशों के साथ सम्पर्क है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तीन अर्थात, बम्बई, मद्रास और धनुषकोडी ।

(ख) तीन यानी बम्बई, दिल्ली और मद्रास—बम्बई से टेलीग्राफ़ और टेलीफोन दोनों द्वारा और दिल्ली तथा मद्रास से केवल टेलीग्राफ द्वारा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या किसी नगर में बाहरी बेतार संचरण प्रणाली की विस्तार-परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया गया है ?

श्री राज बहादुर : जी हां, यह कलकत्ते में प्रारम्भ हो गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : इन तीन नगरों में से किस में विस्तार कार्य-क्रम के इसी वर्ष पूरे हो जाने की संभावना है ?

श्री राज बहादुर : मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि यह इसी वर्ष संभव हो सकेगा या नहीं परन्तु जैसा मैं बता चुका हूं, हमने कलकत्ते में एक प्रशासन-स्टेशन के लिये उचित स्थान प्राप्त कर लिया है ; वहीं एक अग्रिम (पाइलट) स्टेशन के लिये भी हमने अपेक्षित उपकरण ले लिये हैं और हम रिसीविंग स्टेशन ले लिये उचित स्थान शीघ्र लेने वाले हैं।

डा० राम सुभग सिंह : इस कार्य के लिये इन तीन नगरों को कितना रुपया दिया गया है ?

श्री राज बहादुर : मुझे यह इस समय याद नहीं परन्तु इस प्रश्न का मैं इस सत्र में पहले उत्तर दे चुका हूं।

श्री नानादास : किन किन देशों से इस प्रकार की संचरण व्यवस्था है ?

श्री राज बहादुर: यह एक बहुत लम्बी सूची है।

अध्यक्ष महोदय: यह सूचना पहले दी जा चुकी है।

डालर अर्जन करने वाली फ़सलें

*१८३६. **श्री शिवनजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने डालर अर्जन करने वाली फ़सलों के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति में कौन कौन हैं ; तथा

(ग) अब तक समिति ने क्या प्रगति की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) (१) श्री के० आर० दामले, आई० सी० एस०, भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव—**सभापति**

(२) भारत सरकार के कृषि-आयुक्त।

(३) डा० टी० जी० शिरनामे, भारत सरकार के कृषि मार्केटिंग अधिकारी।

(४) श्री ए० के० मेनन, उत्पादन क्षेत्रों के प्रतिनिधि।

(५) श्री एन० एलेग्ज़ैन्डर, उत्पादन क्षेत्रों के प्रतिनिधि :

(६) श्री सी० एम० जान, संचालक, नारियल अनुसन्धान केन्द्र।

(७) श्री ए० के० यज्ञनारायण अय्यर (जिन्हों ने अस्वस्थ होने के कारण त्याग-पत्र दे दिया) ; और

(८) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सचिव।

(ग) समिति सम्बन्धित व्यक्तियों, संघों तथा खेती करने वालों आदि से उनके स्थान पर जाकर पूछताछ करने के बाद सूचना इकट्ठी करती रही है। वह त्रावनकोर-कोचीन में अपना कार्य समाप्त कर चुकी है और यथाशीघ्र मद्रास, मैसूर, कुर्ग, बम्बई और उड़ीसा राज्यों में जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट पेश करेगी।

श्री शिवनजप्पा: क्या इस समिति में कृषकों के प्रतिनिधि हैं ?

श्री करमरकर : जैसा मैंने कहा, दो व्यक्ति उत्पादकों के प्रतिनिधि हैं।

श्री शिवनंजप्पा : कौन कौन सी फ़सलें डालर लाने वाली फ़सलें गिनी जाती हैं, वे कितने डालर लाती हैं और किन किन देशों से ?

श्री करमरकर : मैं माननीय सदस्य का ध्यान समुद्री व्यापार के आंकड़ों की ओर दिलाऊंगा जो सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

श्री पी० टी० चाको: उस समिति का क्या काम है, जो आंकड़े इकट्ठे कर रही बताई जाती है ? वह किस चीज़ के आंकडे इकट्ठे करती है ?

श्री करमरकर : बात यों है। पिछले वर्ष के शुरू में ही योजना आयोग का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि दक्षिण में डालर अर्जन करने वाली कुछ महत्वपूर्ण फ़सलों जैसे काली मिर्च, इलायची,

काजू, हल्दी, अदरक, नींबू, घास आदि उत्पन्न करने और बेचने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका इन वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात के बारे में उचित कदम उठाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया गया था।

श्री बंसल : क्या नारियल का भी निर्यात हीता है क्योंकि इस समिति में नारियल अनुसन्धान केन्द्र का भी एक व्यक्ति है ?

श्री करमरकर : नारियल का नहीं, नारियल की जटा का निर्यात होता है।

जी० एन० आई० टी० कम्पनी

*१८३८. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा ग्वालियर एंड नारदर्न इंडिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी को, उस का राष्ट्रीयकरण करने पर दी गई कुल राशि ;

(ख) इसमें से कितनी गाड़ियों और स्टाक की कीमत के सम्बन्ध में थी और कम्पनी को प्रतिकर के रूप में कितनी राशि दी गई ?

(ग) क्या कोई ऐसा समझौता था जिसके अनुसार सरकार के लिये उनके सारे कर्मचारियों को रखना और उनके वेतन तथा भत्तों आदि के बारे में पूर्वस्थिति बनाये रखना आवश्यक था ;

(घ) क्या कम्पनी के साथ ऐसा समझौता था कि पांच वर्ष तक कम्पनी को ऐस किसी भी मार्ग पर अपनी बसें चलाने का अधिकार होगा जिसे सरकार बाद में छोड़ दे ; और

(ङ) बसों और अन्य स्टाक का मूल्य आंकने के मूल सिद्धांत ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र : (क) २६,५५,०१९ रुपये।)

(ख) गाड़ियों और स्टाक के मूल्य के रूप में २५,६६,९१९ रुपये और प्रतिकर के रूप में ८८,१०० रुपये।

(ग). जी० एन० आई० टी कम्पनी के साथ सरकार द्वारा किये गये समझौते की एक शर्त यह थी कि सरकार ५०० रुपये या इससे कम मासिक वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों को रखे रहेगी जो २८ अक्तूबर १९४६ को (जिस दिन सरकार ने कम्पनी को ले लेने का विचार प्रगट किया था) दिल्ली में कम्पनी की बस सर्विस का प्रबन्ध करने के लिये उसके यहां नौकर थे और जो १४ मई, १९४८ तक (जिस दिन सरकार ने कम्पनी को लिया) वहां रहे, बशर्ते कि ये लोग उपयुक्त हों। समझौते में यह कहा गया था कि ये कर्मचारी ऐसी शर्तों पर ही रखे जायेंगे जो उन शर्तों से कम उदार नहीं होंगी जिन पर कि वे कम्पनी द्वारा २८ अक्तूबर, १९४६ को नियुक्त किये गये थे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सरकार द्वारा लिये जाने वाले स्टाक आदि के मूल्य आंकने के बारे में जो मूल सिद्धांत कम्पनी और सरकार में तय हुए थे, वे इस प्रकार हैं :—

मोटर गाड़ियां—हस्तान्तरण की तिथि पर प्रतिस्थापन मूल्य—इसमें घटते हुए मूल्यों पर २५ प्रतिशत वार्षिक की दर से इटफूट काटी गई थी, साथ साथ इसमें मूल्य आंकने वाले लोगों के मतानुसार प्रत्येक गाड़ी की हालत को देखते हुए ५०० रु० तक कमी करने या बढ़ाने का उपबन्ध था।

बिना इस्तेमाल किये गये फालतू पुर्जे : मूल लागत-मूल्य।

मोटर गाड़ियों और बिना इस्तेमाल किये फ़ालतू पुर्जों के अतिरिक्त सम्पत्ति—हस्तान्तरण तिथि का बाज़ार भाव।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर : ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज़ेशन के मुतल्लक़ इस वक्त सरकार की क्या पालिसी (नीति) है ?

श्री सतीश चन्द्र : इसके बारे में एक बिल, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बिल, जो हाउस ने पास किया है उसमें पालिसी दी हुई है। अब मोटर वेहिकल एमेन्डमेन्ट बिल (मोटर गाड़ी संशोधन विधेयक) अगले सेशन में गवर्नमेन्ट और लाने वाली है।

डा० जयसूर्य : मैं चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर, जो गाड़ियों के मूल्य तथा प्रतिकर के बारे में है, फिर से बताया जाये।

श्री सतीश चन्द्र : गाड़ियों तथा स्टाक के मूल्य के रूप में २५,६६,९१९ रुपये और प्रतिकर के रूप में ८८,१०० रुपये।

डा० जयसूर्य : कम्पनी के ले लेने के समय गाड़ियों की संख्या क्या थी ?

श्री सतीश चन्द्र: जी० एन० आई० टी० से १८९ बसें ली गईं थीं।

डा० जयसूर्य : दो वर्षों के अन्दर कितनी गाड़ियां रद्दी होने के कारण हटा दी गईं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चार वर्ष पुराने सौदे की बात कर रहे हैं। वह मामला अब बिल्कुल खत्म हो चुका है।

सरदार हुक्म सिंह : मोटर गाड़ी अधिनियम के इस संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करते समय क्या उन वचनों और आश्वासनों को ध्यान में रखा गया था जो यातायात कम्पनियों को इस सदन में दिये गये थे ?

श्री सतीश चन्द्र : अवश्य। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में उन आश्वासनों को शामिल किया जायेगा।

श्री नम्बियार : क्या कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के बारे में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं इस समय तो बता नहीं सकता परन्तु यह अवश्य कह सकता हूं कि जब से सरकार ने और बाद में दिल्ली यातायात प्राधिकार ने दिल्ली यातायात सेवा को लिया है, इन कर्मचारियों का वेतन आदि काफ़ी बढ़ गया है।

गन्ना

*१८४१. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में गन्ने के उत्पादन तथा संभरण को एवं चीनी के बनाये जाने को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून है जिसके अन्तर्गत एक ओर क्षेत्रों को खंडों में बांटा जाता हो और दूसरी ओर गन्ने की न्यूनतम कीमत निश्चित की जाती हो ; तथा

(ख) क्या गन्ने के संभरण और उत्पादन को अखिल भारतीय आधार पर नियमित करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, ऐसा कानून अन्य राज्यों में भी है।

(ख) गन्ने के संभरण और उत्पादन को अखिल भारतीय आधार पर नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि गन्ने का विकास और उसका क्रय-विक्रय राज्य सरकारों से संबंधित मामला है।

हां, चीनी उद्योग को उन उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है जो उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१ के अंतर्गत केन्द्र द्वारा नियंत्रित होते हैं और अब वह सामान्य विधि द्वारा प्रकाशित होगा।

श्री करमरकर : उत्तर भाग (क) में जिन 'अन्य राज्यों' का निर्देश किया गया है, वे पंजाब और मद्रास हैं।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार को बिहार तथा उत्तर प्रदेश में इन कानूनों के अनुसार कार्य करने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

श्री करमरकर : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री झूलन सिन्हा : किन अन्य राज्यों में यह क़ानून लागू है ?

श्री करमरकर : मैंने बताया तो— पंजाब और मद्रास। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के इलावा हैं।

श्री झूलन सिन्हा : उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इस कानूनों के सफल कार्यकरण को देखते हुए क्या सरकार अखिल भारतीय आधार पर कोई क़ानून बनाना सोच रही है ?

श्री करमरकर : जैसा मैं ने कहा, चीनी उद्योग को उन उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है जो उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा नियंत्रित होंगे और अब वह एक सामान्य विधि द्वारा प्रकाशित होगा।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार यह बता सकेगी कि पंजाब और मद्रास में गन्ने की न्यूनतम कीमत क्या निश्चित की गई है और बिहार तथा यू० पी० की क़ीमतों के मुकाबले में वे कम हैं या अधिक ?

श्री करमरकर : मैं इसी समय नहीं बता सकता।

कलकत्ता पत्तन

*** १८४२. श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन के नाविकों में नौकरी में रखने से पहले डाक्टरी जांच के नियम के लागू होने के फलस्वरुप छंटनी होने के डर के कारण घबड़ाहट पैदा हो गई है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि नौकरी में रखने से पहले डाक्टरी जांच का तरीका सियेटल अभिसमय का अनुसरण करते हुए लागू किया गया है ; तथा

(ग) क्या नाविकों के लिये सुविधाओं के बारे में अभिसमय में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) सरकार के विचार में नाविकों में इस समय कोई घबड़ाहट नहीं है, यद्यपि आरम्भ में इस योजना के लागू करने के उद्देश्यों के बारे में कुछ चिन्ता प्रगट की गई थी। १ अप्रैल १९५० से ३१ दिसम्बर, १९५१ के काल में ३ प्रति शत से कम लोगों को डाक्टरी आधार पर स्थायी रूप से अयोग्य ठहराया गया था। इस काल में ४०,६४० नाविकों की जांच की गई और केवल १,०८० नाविकों को स्थायी रूप से अयोग्य ठहराया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) सियेटल में नाविकों के बारे में जो अन्य अभिसमय किये गये थे, उनका

प्रारम्भिक रुप से, नाविकों और मालिकों के बीच समझौते से सम्बन्ध था। सरकार नाविकों की उचित मांगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करने और उनका समर्थन करने के लिये हमेशा तैयार है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि हमारे पत्तनों पर जो कुल माल आता जाता है उसका ४/५ भाग विदेशियों द्वारा प्रबन्धित होता है, क्या सरकार ने इन विदेशी कम्पनियों को इस बात के लिये बाध्य करने के कोई कदम उठाये हैं कि वे नाविकों को अधिक सुविधायें दें, विशेषत: इस कारण कि पिछले लगभग ८ वर्षों से उनकी मज़दूरी में वृद्धि नहीं दी गई है, उनको अधिक देर तक काम करने का पैसा नहीं दिया जाता और न ही कोई न्याययुक्त एवं उचित सुविधाय दी गई हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इसी कारण कि जहाज़ी कम्पनियां विदेशी हैं ; उन सुविधाओं का दिया जाना या उन बातों को लागू करना कठिन है, जो माननीय सदस्य सोच रहे हैं। फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि युद्ध काल में नाविकों की मजूरी ५०० प्रतिशत बढ़ गई है ; मूल मजूरी में २०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है और १०० प्रतिशत वृद्धि लड़ाई के खतरे के बोनस के कारण हुई है जो उन्हें अब भी दिया जा रहा है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को उस ज्ञापन के बारे में पता है जो कलकत्ता के नाविकों ने कलकत्ते के पोताधिपाल (शिपिंग मास्टर) के जरिये भेजा था जिसमें कहा गया था कि गत आठ वर्षों से उनकी मजूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

श्री सतीश चन्द्र : मुझे उस विशेष अभ्यावेदन के बारे में पता नहीं। कठिनाई यह है कि कलकत्ता में नाविकों की बहुत सी यूनियनें (संघ) हैं और उनमें से कुछ दूसरी यूनियनों के बिल्कुल विरुद्ध रवैया अपनाती हैं। ५०० प्रतिशत वृद्धि की बात बिल्कुल ठीक है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को पता है कि नाविक कल्याण समिति के पास लगभग २२ लाख रुपया पड़ा हुआ है और यह रुपया नाविक स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत भारतीय नाविकों को सेवायुक्त करने वाली ब्रिटिश जहाज़ी कम्पनियों ने दिया है। क्या सरकार इस रुपये को लेने का प्रयत्न करेगी और नाविकों को विशेष सुविधायें देने के लिये अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत इसको काम में लाएगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसी बात है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री नम्बियार : माननीय सदस्य को इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि नाविकों की मजूरी में ५०० प्रतिशत बृद्धि हुई है, मैं जान सकता हूं कि एक नाविक की न्यूनतम मजूरी क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं न्यूनतम मजूरी इसी समय नहीं बता सकता। यह तो अलग अलग नाविकों और जहाज़ी कम्पनियों के बीच समझौते की बात है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ महीने हुए, कलकत्ता पत्तन में ४५ दिन तक इस बात के विरोध में हड़ताल हुई थी कि डाक्टरी बोर्ड ने बहुत अधिक उम्मीदवारों को अयोग्य ठहरा दिया था ?

श्री सतीश चन्द्र : इस कल्याणकारी योजना के बारे में, जो सरकार ने नाविकों के हित में ही लागू की है, कुछ विरोध प्रगट किया गया था। एक हड़ताल हुई थी जिसमें कुछ संघों के सदस्यों ने भाग लिया था। (यह बात प्रगट करती है कि इस मामले में उन संघों के नेताओं में एकमत नहीं है।)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

*१८४३. **श्री गणपति राम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में काम करने वाले मज़दूरों की कुल संख्या; तथा

(ख) जौनपुर की शाहगंज शुगर मिल में सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में हुआ शुद्ध लाभ ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ख) सन् १९५०-५१ मे २,६७,८९० रुपय की हानि और सन् १९५१-५२ में ३ लाख रुपये की अनुमानित हानि।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि पिछले तीन वर्षों में शुगर मिल्स के वरकर्स (मज़दूरों) की जो एवरेज (औसत) मज़दूरी थी उसमें और वर्तमान मज़दूरी में कोई कमी या वृद्धि हुई ? और यदि हुई है तो कहां तक ?

श्री करमरकर : मैं पता लगाऊंगा। सूचना इकट्ठी की जा रही है।

श्री गणपति राम क्या माननीय मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि शाहगंज शुगर मिल, जौनपुर की एवरेज मज़दूरी की जांच के लिए कोई कमेटी नियुक्त की गई थी ? यदि हां, तो उस की क्या रिपोर्ट है ? यदि नहीं. तो क्या सरकार इनके लिए कोई इन्क्वायरी कमेटी (जांच समिति) नियुक्त कर सकती है ?

श्री करमरकर : यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है। फिर भी हम तलाश करेंगे।

डा० पी० एस० देशमुख : जिस रफ़्तार से यह मिल इस समय हानि उठा रही है उस से इस मिल के बन्द होने और बिकने में कितने वर्ष लग जायेंगे ?

श्री करमरकर : यह सदस्य महोदय की योग्यता पर निर्भर है।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि शुगर मिल में जो प्राफिट (लाभ) होता है उसका कुछ शेयर (हिस्सा) एम्प्लाइज़ (कर्मचारियों) को भी दिया जाता है ?

श्री करमरकर : मैं पता लगाऊंगा।

खोई का उपयोग

*१८४४. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गन्ना पेरने की मिलों और मशीनों से निकली हुई खोई को मोटे कागज़ (पेपर बोर्ड) बनाने के काम में लाने का कोई प्रयत्न किया गया है; तथा

(ख) क्या कोई ऐसा तरीका है जिस से खोई से कागज़ बनाने का एक कुटीर-उद्योग स्थापित किया जा सके ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। कुछ मिलें

वास्तव में खोई को मोटा काग़ज़ बनाने के काम में ला रही हैं ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी तरीक़े के बारे में पता नहीं जिससे खोई से काग़ज़ कुटीर उद्योग पैमाने पर बनाया जा सके।

भाग (क) के बारे में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मैसर्स रोहतास लिमिटेड खोई को मोटा काग़ज़ बनाने के काम में ला रहे हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार को विदित है कि जापान में खोई से मामूली काग़ज़ और मोटा कागज (पेपर बोर्ड) बनाने की बहुत सस्ती और साधारण मशीनें मिलती हैं और .....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं यहां इस सुझाव को देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा । आप माननीय मंत्री के पास इन सुझावों को भेज सकते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में कोई सूचना है कि अन्य देशों में खोई से अख्बारी काग़ज़ बनाया जा रहा है; यदि है तो क्या सरकार ने उन में से किसी देश को कोई शिष्टमंडल भेजा है ?

श्री करमरकर : हम ने कोई शिष्टमंडल नहीं भेजा है । खोई से अख्बारी काग़ज़ बनाने के बारे में हमारे यहां जो अनुसंधान हो रहा है, उसके सम्बन्ध में मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एन० पी० सिन्हा : प्रश्न संख्या १८४५ ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं एक प्रार्थना कर सकता हूं ? प्रश्न संख्या १८४० का उत्तर पहले नहीं दिया जा सका है क्योंकि प्रश्न करने वाले सदस्य मौजूद नहीं थे । यदि प्रश्न संख्या १८४५ के साथ साथ ही प्रश्न संख्या १८४० का उत्तर भी दे दिया जाये तो उसकी बहुत सी बातों का जवाब मिल जायेगा और इस तरह बहुत से अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जायेंगे । प्रश्न संख्या १८४० भी उसी विषय के बारे में है, केवल थोड़ा सा अन्तर है ।

श्री करमरकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु प्रश्न पूछने वाले की अनुपस्थिति में प्रश्न संख्या १८४० की अनुमति कैसे दी जा सकती है ?

श्री टी० एन० सिंह : मैं केवल प्रार्थना कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि दोनों का विषय एक हो तो सारे संगत अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी जायेगी ।

खाद्यान्न (गोदामों में रखना)

*१८४५. **श्री एन० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विगत काल में विभिन्न गोदामों में रखे गये अनाज को सड़ने से बचाने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ; तथा

(ख) क्या गोदामों में रखे अनाज की समय समय पर जांच होती रहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : जहां तक केन्द्र की ओर से अनाज को गोदामों में रखने का सवाल है, अनाज को इकट्ठा करने के लिये ऐसे गोदाम छांटे गये थे जिन में सील न पहुंचती हो और जहां हवा खूब आती हो।

अनाज को सड़ने से बचाने के लिये गोदामों को साफ़ रखने और सुगन्धित करने के क़दम उठाये गये थे।

(ख) जी हां। एक पखवारे में एक बार।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या सरकार के पास इसके बारे में सूचना है कि कीड़ों और चूहों के खा जाने से प्रति वर्ष कितने अनाज का नुकसान होता है ?

श्री करमरकर : हमारी सूचना के अनुसार सन् १९५१-५२ में इकट्ठे किये गये कुल अनाज में से ३३·६३ टन का, जिसका मूल्य २१,१५१ रुपये था, सब कारणों से नुक्सान हुआ था।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या कभी कभी इन गोदामों से जनता के प्रयोग के लिये अनाज तब ही निकाला जाता है जब वह बिल्कुल सड़ जाता है ?

श्री करमरकर : जी नहीं।

श्री बी० के० दास : माननीय मंत्री ने केन्द्र की ओर से गोदाम में अनाज इकट्ठा करने के बारे में कहा। मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों के अधीन इस कार्य के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री करमरकर : प्रान्तीय सरकारों के अधीन अनाज इकट्ठा करके गोदामों में भरने के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है। दोनों प्रश्न केन्द्रीय सरकार के बारे में ही थे।

प्रचार-कार्यक्रम

*१८४६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारत में पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिये कोई प्रचार कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसमें कितना रुपया लगेगा ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां।

(ख) पयटक प्रचार कार्यक्रम की मुख्य बातें यह हैं : बड़े-बड़े इश्तहारों, फोल्डरों, रंगीन फ़िल्मों, नक्शों, चित्रवाले पोस्टकार्डों, स्थान सूचक पुस्तकों और छोटी छोटी सूचनात्मक पुस्तिकाओं को तैयार करना और जहां जहां सम्भव हो, यात्रियों के काम आने वाली सुज्ञात विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन और लेख देना।

(ग) ६,५०,००० रुपये।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में पर्यटक यातायात में उन्नति स्थिर एवं संतोषप्रद रही है और क्या इस प्रचार-कार्यक्रम के लागू होने के फलस्वरूप अगले मौसम में सरकार और अधिक विदेशी यात्रियों के आने की आशा करती है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये। मैं केवल प्रचार के बारे में बता सकता हूं।

श्री नम्बियार : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह पर्यटक यातायात बढ़ता जा रहा है, मैं जान सकता हूं कि क्या यहां भारत में लोगों के यातायात पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पहले ही डिब्बों और गाड़ियों की कमी है...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या कांगड़ा घाटी में पर्यटकों का यातायात बढ़ाने के लिये कोई क़दम उठाये गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां। कुछेक इश्तहार और स्थानसूचक पस्तकें कांगड़ा

घाटी के बारे में हैं। इन्हें विदेशों में प्रदर्शित किया जाता है जिससे लोग कांगड़ा घाटी आयें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस पर्यटक यातायात से कोई आय हुई है और हुई है तो कितनी ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसा मैंने कहा, मैं केवल प्रचार सम्बन्धी प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता हूं।

श्री सारंगधर दास : रेलवे स्टेशनों पर जो इश्तहार लगाये जाते हैं क्या उन्हें हर साल बदला जाता है या वे वर्षों तक यों ही लगे रहते ह ?

श्री सतीश चन्द्र : नये इश्तहार हर वर्ष बनाये जाते हैं और छापे जाते हैं। जिन इश्तहारों की मैं चर्चा कर रहा हूं उन में से अ कांश विदेशों में हमारे दूतावासों को और वहां की यात्रा सम्बन्धी एजेन्सियों को बांट दिये जाते हैं। यह विदेशों से लोगों को भारत में आकर्षित करने के लिये किया जाता है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार उन प्राचीन स्मारकों को संरक्षित रखने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार करती है जिन की कुछ विदेशी पर्यटक उन स्मारकों के कुछ चिन्ह अपने साथ ले जाने के लिये तोड़-फोड़ करते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : यह प्रश्न माननीय शिक्षा मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

जलियांवाला बाग़ राष्ट्रीय स्मारक

*१८४७. **श्री एस० एन० दास :** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जलियांवाला बाग़ राष्ट्रीय स्मारक के समस्त न्यासधारियों को नियुक्त किया जा चुका है और क्या वे अपना कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों के नाम ;

(ग) क्या न्यासधारियों ने कोई प्रबन्ध समिति बनाई है ; तथा

(घ) यदि हां, तो समिति किस प्रकार बनी है और उसके अधिकार एवं कृत्य क्या हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) राजकुमारी अमृत कौर, डा० बख्शी टेकचन्द और ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफ़िर।

(ग) जी हां।

(घ) मैं सदन पटल पर न्यासधारियों द्वारा पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री एस० एन० दास : क्या इस प्रबन्ध समिति का सभापति नामनिर्देशित हुआ है और क्या इस समिति ने कार्य शुरू कर दिया है ?

डा० काटजू : उसका सभापति न्यास के सभापति द्वारा नामनिर्देशित होगा।

श्री एस० एन० दास : क्या उसका नाम-निर्देशित हो गया है और क्या समिति ने कार्य आरंभ कर दिया है ?

डा० काटजू : जी हां, समिति कार्य कर रही है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप

*१८४८. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के विकास के बारे में योजना क्या है; और

(ख) अण्डमान में बसाये गये पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री डा० काटजू : (क) सरकार के विचाराधीन जो योजना है उसके अनुसार पांच वर्ष की अवधि में अडंमान में लगभग २०,००० एकड़ ज़मीन को जंगलों से साफ़ किया जाना है और फिर उस ज़मीन पर किसान परिवारों को बसाना है। योजना में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों आदि का निर्माण भी सम्मिलित है।

(ख) अंडमान में ३६२ परिवार, जिनमें पूर्बी बंगाल से आये हुए १४८१ विस्थापित व्यक्ति हैं, बसे हैं।

श्री ए० सी० गुहा : क्या वहां पूर्वी बंगाल के और अधिक परिवारों को भेजने की योजना है ?

डा० काटजू : यदि वे जाना चाहेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री ए० सी० गुहा : क्या इस बारे में सरकार की ओर से कोई प्रयत्न किया गया है ?

डा० काटजू : जब मैं कलकत्ते में था तो मैंने देखा था कि बहुत कुछ कहने सुनन पर इस दिशा में काफी प्रगति हुई थी परन्तु जो लोग वहां चले गये थे वे वापस आ गये। वे वहां जाने के लिये तैयार नहीं होते। आप ही उन्हें समझाइये।

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार से बहुत कम लोग वापस आये हैं, परन्तु क्या हाल में कोई प्रयत्न किया गया है ? क्या इस वर्ष उन्हें भेजने का कोई कार्यक्रम है ?

डा० काटजू : श्रीमान्, क्या मैं पूर्ण-सम्मान के साथ ऐसा कह सकता हूं कि माननीय सदस्य को मुझसे ज़्यादा सूचना है जहां तक मैं समझता हूं, उन लोगों को वहां जाने के लिये बराबर कहा जा रहा है।

श्री ए० एम० टामस : क्या सरकार बता सकती है कि वहां कितने परिवारों को बसाने की जगह है ?

डा० काटजू : हमारा इरादा तो यह था कि वहां २०,००० लोगों को बसाया जाये। परन्तु जितने अधिक हों उतना ही अच्छा है।

श्री अच्युतन : इन परिवारों को क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। शायद परसों ही बहुत से प्रश्न पूछे गये थे।

श्री ए० सी गुहा : क्या खेती न करने वाले परिवारों को बसाने का भी कोई कार्यक्रम है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : खेती न करने वाले कुछ परिवारों को भेजा गया है और शेष काल में १०० या १५० और परिवार भेजे जायेंगे।

श्री बी० के० दास : माननीय मंत्री ने कहा कि वहां खेती करने वाले परिवारों को बसाया जायेगा। क्या यह शरणार्थियों को बसाने की योजना के बारे में ही है या अन्य लोगों के बारे में भी है ?

डा० काटजू : शरणार्थियों को अधिमान दिया जायेगा। यदि शरणार्थी नहीं जाते तो कोई भी जा सकता है।

आदिवासी साक्षरता

*१८४९. **श्री संगण्णा** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने प्रतिशत आदिवासी साक्षर हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): माननीय सदस्य का ध्यान ४ जुलाई १९५२ को श्री आर० बी० परमार के तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ के बारे में मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है जिस में कहा गया था कि इस समय कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री **संगण्णा** : क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से यह सूचना मिली है कि उन्हें जो अनुदान दिये जाते हैं उनको आदिवासियों की आर्थिक उन्नति के लिये किस प्रकार काम में लाया जाता है ?

डा० काटजू: मैं पूछ सकता हूं कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होता है । प्रश्न यह है कि "कितने प्रतिशत आदिवासी साक्षर हैं ?" और अब माननीय सदस्य पूछते हैं कि आदिवासियों की उन्नति के लिये अनुदानों को किस प्रकार काम में लाया जा रहा है । मैं इस पर बहुत कुछ कह सकता हूं, परन्तु इसमें केवल सदन का समय ही खर्च होगा ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात मालूम होती है कि माननीय सदस्य साक्षरता के बारे में दिये गये किसी पिछले उत्तर का निर्देश कर रहे हैं । साक्षरता के लिये भारत सरकार, ऐसा प्रतीत होता है, कुछ न कुछ अनुमान देती ही है । इसलिये यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके द्वारा यह देखा जा सके कि अनुदानों को किस प्रकार काम में लाया जा रहा है । यही प्रश्न है ।

डा० काटजू : एक प्रादेशिक आयुक्त यहां है और एक वहां । यह राज्यों का विषय है । वे इस बारे में जितना उनसे हो सकता है कर रहे हैं ।

श्री बी० के० पटेल : क्या सरकार का इस सूचना को एकत्रित करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : निस्सन्देह, सारी आवश्यक सूचना उन्हें इकट्ठी करनी होगी ।

कृषि श्रमिक

*१८५१. **श्री बी० मिस्सिर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के विचाराधीन कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये भूमि के पुनरुद्धार और सुधार की योजना है और यदि है तो वह योजना क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमत्री (श्री करमरकर) : भारत सरकार का केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन पहले से ही २४० भारी ट्रेक्टरों द्वारा भूमि पुनरुद्धार की एक योजना को क्रियान्वित करने में लगा हुआ है । योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल की १५ लाख एकड़ भूमि को, जिसमें जंगली पौदे उगे हुए हैं, सन् १९४९-५० के भूमि पुनरुद्धार मौसम से आरम्भ करके सात वर्ष के अन्दर कृषि योग्य बनाया जाना है । उत्तर प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र को छोड़ कर, जहां जंगल साफ़ करने की एक अग्रिम परियोजना पर कार्य चल रहा है, कृषि योग्य बनाई जाने वाली भूमि में कांस नामक घास उगी हुई है । अनुमान हैं कि इस भूमि के कृषि योग्य होने पर प्रति वर्ष १/३ और १/४ टन के बीच पैदावार अधिक बढ़ जायेगी । इसके अलावा भूमि-उद्धार की कोई और योजना विचाराधीन नहीं है ।

जहां तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है इस समय कोई विशिष्ट योजना विचाराधीन नहीं है। फिर भी समय समय पर मंजूर की जाने वाली विभिन्न अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं में पानी निकलने के लिये नालियां और पानी रोकने के लिये छोटे छोटे बंध बनाने जैसे कुछ सुधार कार्य शामिल किये जाते है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस भमि पुनरुद्धार में कितना रुपया लगा है?

श्री करमरकर : केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन पर अब तक कुल ६,२३,८२,४९५ रुपया ख़र्च हो चुका है।

श्री नम्बियार : क्या कृषि योग्य बनाई गई भूमि को भूमि हीन कृषि श्रमिकों में बांटा जा रहा है।

श्री करमरकर : मैं ऐसा ही समझता हूं।

श्री टी० एन० सिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि योग्य बनाई गई इन ज़मीनों पर उत्पादन में १/३ से १/४ टन प्रति एकड़ के बीच वृद्धि होगी। क्या यह आंकड़ा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा, उनके परिमाप के पश्चात् दिये गये आंकड़े के अनुसार है या यह पहले वाला आंकड़ा है?

श्री करमरकर: मेरे विचार में यह हाल ही का आंकड़ा है, परन्तु मैं इस का पता लगाऊंगा इसका आधार क्या है।

श्री बंसल : क्या सरकार को विदित है कि कुछ स्थानों में कांस हटाये जाने के एक दो साल बाद वह फिर से उग आई है?

श्री करमरकर : जी नहीं :

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि कांस से भरे उस क्षेत्र जिसे कृषि योग्य बनाया गया है, एक क्षेत्र ऐसा था जिसमें सारे में कांस नहीं उगी हुई थी, और उस क्षेत्र में बढ़े हुए उत्पादन की मात्रा कम थी?

श्री करमरकर : मैं ठीक तरह से नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य किस विशिष्ट प्रकार की भूमि का ज़िक्र कर रहे हैं; इसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

श्री बंसल : क्या सरकार इस बारे में जांच करेगी कि कृषि योग्य बनाई गई भूमि में कांस फिर से तो नहीं उग रही है।

श्री करमरकर : हम अवश्य जांच करेंगे।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : अब तक कुल कितने एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है और प्रति एकड़ उत्पादन क्या है?

श्री करमरकर : वर्ष १९४९-५० से आरम्भ करते हुए तीन मौसमों तक केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन ने ६,१६,८०७ एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया है। वर्ष १९४७-४८ और १९४८-४९ में जिस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया है उसको शामिल करते हुए कुल भूमि ७,२०,८३५ एकड़ है।

भारतीय सहकारी कांग्रेस

*१८५२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय सरकारी कांग्रेस ने फ़रवरी १९५२ में अपनी पहली बैठक में क्या क्या निश्चय किये और इन निश्चयों को क्रियान्वित करने के लिये यदि कुछ कार्यवाही की है या करने का विचार है तो वह क्या है?

वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री करमरकर) : एक टिप्पणी जिसमें प्रथम भारतीय सहकारी कांग्रेस में पारित किये गये उन संकल्पों को दिया गया है जो इस प्रसंग में संगत हैं, सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २**]

सिफ़ारिशों पर इस समय योजन आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है और उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री झूलन सिन्हा : ये संकल्प सरकार के पास विचारार्थ कितने समय तक रहे ?

श्री करमरकर : मैं ठीक ठीक समय नहीं बता सकता, परन्तु बहुत समय नहीं लगा है।

श्री झूलन सिन्हा : क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि अन्तिम निश्चय करने में अनुमानतः कितना समय लग जायेगा ?

श्री करमरकर : जिन संकल्पों का भारत सरकार से मुख्य रूप से सम्बन्ध है वे एक तो संकल्प सं० ४ है जो सहकारी कृषिकरण के बारे में हो और दूसरा संकल्प सं० ५ है जो एक केन्द्रीय सहकारी परिषद् की स्थापना के बारे में है।

जहां तक पहले संकल्प का सम्बन्ध है उक्त कांग्रेस द्वारा इस संकल्प को पारित करने से पहले ही केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस बात का परामर्श दिया था कि सहकारी कृषि सभाओं को अधिमान दिया जाये।

जहां तक कि केन्द्रीय परिषद् की स्थापना का प्रश्न है, भारतीय सहकारी कांग्रेस द्वारा जिस में सरकारी पदाधिकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति दोनों सदस्य हैं, इस मामले से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिये पहले ही व्यवस्था कर दी गई है।

श्री झूलन सिन्हा : क्या माननीय मंत्री कृपया संकल्प संख्या २, ७ और ९ का भी निर्देश करेंगे और बतलायेंगे कि क्या उनका भी भारत सरकार से सम्बन्ध है या नहीं ?

श्री करमरकर : जहां तक मुझे सूचना है, इस समय मेरे पास संकल्पों की जो सूची है उसमें संकल्प संख्या ७ और ९ नहीं हैं परन्तु संकल्प संख्या २, जो सहकारी खेती को इस प्रकार की खेती की उन्नति के लिये राज्य की घोषित नीति के रूप में अपनाये जाने से तथा इस प्रश्न से सम्बंधित है कि इसको क्रियान्वित करने में सहकारी आन्दोलन से कहां तक सहायता मिल सकती है, हमारे और योजना आयोग के विचाराधीन है।

केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद्

*१८५३. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् की रचना क्या है और उसमें कौन कौन हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : अपेक्षित सूचना देनें वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३**]

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् संघ (एसोसिएशन आफ़ दी सेन्ट्रल काऊंसिल आफ़ गोसंवर्धन) के प्रारूप ज्ञापन के खंड (ङ) की ओर दिला सकता हूं और जान सकता हूं कि सरकार ने उसे क्रियान्वित करने के क्या क़दम उठाये हैं ?

श्री करमरकर : चूंकि पशुवध को रोकने का विषय केन्द्रीय सरकार के क़ानून

बनाने के अधिकारों में नहीं आता, अतः एक आदर्श विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था और उसे राज्य सरकारों को परिचारित किया गया था। पता चला है कि अधिकांश राज्य सरकारें इस मामले में उचित कानून बना चुकी हैं।

श्री झलन सिन्हा : वे कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जो ये कानून बना चुकी है ?

श्री करमरकर : जैसा मैंने कहा अधिकांश, परन्तु मैं यह पता चलाऊंगा कि किन किन ने कानून पास नहीं किया है। इस समय गोहत्या पर मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, पैप्सू, सौराष्ट्र, कच्छ, मनीपुर और त्रिपुरा में पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

श्री झलन सिन्हा : क्या यह प्रतिबन्ध कार्यपालिका आदेश द्वारा या विधान बना कर लागू किया गया है ?

श्री करमरकर : मुझे विश्वास है कि विधान बना कर ऐसा किया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार गोसवर्धन विधेयक को फिर से पुरःस्थापित करने का विचार कर रही है जिसके अनुसार गोसंवर्धन की एक केन्द्रीय परिषद् ी रचना की जानी है ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व, मैं परामर्श करूंगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : अकाल के समय रायलासीमा में इस गोसंवर्धन परिषद् ने क्या कार्य किया ?

श्री करमरकर : यह परिषद् केवल अकाल के समय कार्य करने के लिए ही नहीं है, यह सामान्य कार्यों के लिए भी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई गोसंवर्धन परिषद् है ?

श्री करमरकर : रायलासीमा के लिए कोई अलग परिषद् नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अकाल के समय रायलासीमा में इसने क्या कार्य किया ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जान सकता हूं कि क्या यह परिषद् वास्तव में अभी बनी नहीं है और इसलिए इसने कार्य आरम्भ नहीं किया है और क्या शायद अभी वह केवल पंजीबद्ध ही हुई है ?

श्री करमरकर : बहुत सम्भव है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : गत तीन वर्षों में, क्या गोसंवर्धन का कार्य इस सरकार द्वारा किया भी गया है या नहीं ?

सुपारी से बनी वस्तुएं

*१८५४. **श्री अच्युतन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५० और १९५१ में भारत में सुपारी से बनी वस्तुओं की कितनी मात्रा आयात की गई और किस देश से ;

(ख) क्या उस पर कोई आयात शुल्क है, यदि है तो उसकी दर क्या है ;

(ग) क्या सन् १९५२ में सरकार ने भारत में उत्पादित सुपारी की वस्तुओं की कीमतों में भारी गिराव को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई कदम उठाना सोचती है ; तथा

(घ) क्या सरकार को विदित है कि भारत का सुपारी उद्योग छोटे पैमाने पर काश्त करने वालों के हाथ में है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

"अपने टेलीफोन का स्वामित्व प्राप्त करो" योजना

***१८५५. श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या "अपने टेलीफोन का स्वामित्व प्राप्त करो" योजना पर पूरे ज़ोर से कार्य हो रहा है ;

(ख) वर्ष १९५०-५१ और १९५१-५२ में इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रार्थना-पत्रों की तथा लगाये गये टेलीफोनों की संख्या ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत यदि कोई छूट दी गई थी तो किन किन मामलों में और उसके कारण ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। अब तक १६ स्थानों में इस योजना को लागू किया गया है।

(ख) प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्र :—

१९५०-५१	१९५१-५२
९,७३४	१२,४४८

लगाये गये टेलीफोनों की संख्या :—

१९५०-५१	१९५१-५२
७,९०४	११,१८०

(ग) उन स्थानों में जहां 'अपने टेलीफोन का स्वामित्व प्राप्त करो' योजना लागू की गई है, टेलीफोन एक्सचेंज में उपलब्ध क्षमता का ३० प्रतिशत भाग उन प्रार्थियों के लिए रक्षित किया जाता है जो छूट की श्रणी में आते हैं। इस श्रेणी में डाक्टर, नर्सें, रजिस्टर्ड धात्रियें, अस्पताल, सार्वजनिक संस्थायें, शरणार्थी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, अखबार और अखबारों के संवाददाता और अस्थायी सरकारी विभाग आदि आते हैं। इन को, शरणार्थियों के अलावा, इसलिये छट दी गई है क्योंकि ये जनता की सेवा करते हैं। शरणार्थियों के साथ यह रियायत इसलिये की गई है ताकि वे अपने आप को पुनःस्थापित कर सकें।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सत्य है कि इस प्रणाली को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया है ?

श्री राज बहादुर : इसे स्थगित नहीं किया गया है। जैसे जैसे हमें संसाधन उपलब्ध होते जायेंगे हम इस योजना को अन्य स्थानों पर लागू करेंगे।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सत्य है कि मद्रास में उन लोगों को, जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत २००० रुपये जमा करा दिये हैं, अभी तक टेलीफोन नहीं दिये गये हैं और विभागीय अधिकारी यह कहते हैं कि इस योजना को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया है ?

श्री राज बहादुर : कुछ को नहीं दिये गये हैं परन्तु फिर भी इस योजना के अन्तर्गत मद्रास में ९७० लोगों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या प्रसिद्ध कलाकारों को भी छूट की श्रेणी में रखा गया है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे मालूम है, नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या 'अपने एक्सचेंज पर स्वामित्व प्राप्त करो' योजना के अन्तर्गत कोई एक्सचेंज खोला गया है, यदि हां तो उसके लिए कितना रुपया जमा होता है ?

श्री राज बहादुर : घुबरी में एक है ।

श्री बी० के० दास : सरकार के पास कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं और क्या किसी प्रार्थना पत्र को नामंजूर किया गया है ?

श्री राज बहादुर : 'अपनें टेलीफोन पर स्वामित्व प्राप्त करो' योजना के अन्तर्गत किसी प्रार्थना पत्र को नामंजूर करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं । रुपये जमा करा दिये हैं, परन्तु मैं विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या नहीं बता सकता ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

* १८५६. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने मनीपुर जैसे छोटें राज्यों को कहां तक सहायता दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन उन जमीनो को कृषि योग्य बनाने का काम करता है जो राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य के लिये उसे दी जाती हैं । अभी तक संगठन से किसी भी छोटे राज्य ने इस कार्य के लिये कोई प्रार्थना नहीं की है । केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन इस बात का निश्चय करने के लिए कि कहां और कौन सी जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये काम शुरू किया जाये, छोटे और बड़े राज्यों में कोई विभेद नहीं करता । इस कार्य के लिए स्थान चुनने के बारे में जो मुख्य रूप से विचारणीय बात है वह यह कि वहां जमीन के बड़े बड़े टुकड़े उपलब्ध हों जिससे कि उन पर भारी ट्रैक्टरों का चलाना आर्थिक सिद्ध हो । जहां जहां ऐसी जमीनें उपलब्ध हों वहां यह संगठन अपना कार्य करन के लिये तैयार है ।

श्री एल० जे० सिंह : इस संगठा से काश्तकारों को कितना लाभ हुआ है ?

श्री करमरकर : अभी कुछ मिनट हुए मैंने एक ऐसे ही प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें बताया गया था कि इस संगठन द्वारा कितने एकड़ भूमि पर और खेती आरम्भ की गई थी । यह लगभग ७२०,००० एकड़ है ।

श्री एल० जे० सिंह : राज्यों यह संगठन किसके निरीक्षण में काम कर रहा है ?

श्री करमरकर : यह संगठन हमारे निरीक्षण में कार्य करता है । यह हमारी देखरेख में उस राज्य की प्रार्थना पर काम करता है जहां उपयुक्त जमीन उपलब्ध होती है । प्रति एकड़ व्यय ५४ रुपये होता है जिसे राज्य सरकार उठाती है और बाद में काश्तकारों से वसूल करती है ।

श्री वैलायुधन : ट्रैक्टर संगठन स्थापित करने से जो परिणाम प्राप्त हुये हैं उनको दृष्टि में रखते हुए क्या यह संगठन मंहगा साबित हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वह राय पूछ रहे हैं ।

जनाब अमजद अली : क्या आसाम सरकार को जितने ट्रैक्टरों की उस वास्तव में जरूरत थी, उससे कम दिये गये हैं ?

श्री करमरकर : क्या मेरे मित्र इस प्रश्न का उत्तर केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के अधीन चाहते हैं या आसाम सरकार के लिए आयात किये गये ट्रैक्टरों के सामान्य विषय पर चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के अधीन ।

श्री करमरकर : जहां तक मुझे पता है, उन्होंने नहीं मांगे हैं ।

श्री वी० एस० मूर्ति : इस संगठन के अधीन मद्रास सरकार को कितने ट्रैक्टर दिए गये हैं ?

श्री करमरकर : मद्रास सरकार ने इस बारे में हाल ही में जांच की है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा राज्य के कुछेक क्षेत्रों में भूमि पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया जा सकता है या नहीं । इस पर अभी विचार हो रहा है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे इस बात का पता हो सके कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा जो भूमि कृषि योग्य बनाई जा चुकी है, उसको किस प्रकार काम में लाया जा रहा है । क्या यह भूमि किसानों को दे दी जाती है या इन पर बड़े बड़े फ़ार्मों (खेतों) के रूप में काश्त की जाती है ?

श्री करमरकर : स्पष्टतः हमारे यहां इस प्रकार की सूचना के लिये व्यवस्था है । परन्तु इस बात के लिये मुझे पता लगाना होगा कि क्या सब ही मामलों में ज़मीनें बड़े फ़ार्मों को या काश्तकारों को दे दी जाती हैं ?

श्री बोगावत : क्या बम्बई राज्य को कुछ ट्रैक्टर दिये गये हैं ?

श्री करमरकर : जी हां । हम ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत को ट्रैक्टर दिये हैं । यू० पी० तराई के जंगली क्षेत्रों को साफ़ करने के लिये भी ट्रैक्टर दिये गये हैं । इस ट्रैक्टर संगठन द्वारा कार्य करने के लिए ज़मीन के बड़े बड़े क्षेत्र चाहियें । मेरे माननीय मित्र स्पष्टतः उन ट्रैक्टरों की ओर निर्देश कर रहे हैं जो 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत बम्बई सरकार को दिये गये थे ।

मध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियां

*१८५७. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश की अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये एक 'प्रादेशिक आयुक्त' नियुक्त करने का निश्चय किया है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : विषय विचाराधीन है ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या यह नियुक्ति मध्य प्रदेश सरकार के कहने पर की जा रही है या भारत सरकार स्वयं अपनी इच्छा से कर रही है ?

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र पूछ रहे हैं कि क्या यह मध्य प्रदेश सरकार के कहने पर किया जा रहा है । मुझ यह तो ज्ञात नहीं कि इस नियुक्ति की बात कहां और कैसे शुरू हुई परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस बात पर विचार हो रहा है । हम उसे शीघ्र ही नियुक्त करने को सोच रहे हैं ।

श्री के० जी० देशमुख: इस प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

श्री संगण्णा : क्या आदिम जाति के लोगों के बहुत अधिक संख्या में होने की बात को ध्यान में रख कर ऐसा किया जाता है ।

डा० काटजू : मुझे ठीक ठीक पता नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस प्रश्न पर केवल मध्य प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश को दृष्टि में रख कर विचार हो रहा है या अखिल भारतीय आधार पर ?

डा० काटजू : इस पर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत, अजमेर, भोपाल, राजस्थान और बम्बई के सम्बन्ध में विचार हो रहा है । आसाम को पहले से ही शामिल कर लिया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : और कौन कौन से राज्यों को छोड़ा जा रहा है ?

डा० काटजू : जो लम्बी सूची मैं अभी सुना चुका हूं उसमें ऐसा प्रत्येक राज्य आ गया है जहां इनमें से किसी वर्ग के लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स (अनुसूचित आदिम जातियां) के लिये जो कमिश्नर ऐप्वाइंट (नियुक्त) किये जा रहे हैं वह किस जाति के होंगे, उसी जाति के या दूसरी जाति के ?

डा० काटजू : सवाल यह था कि रीजनल कमिश्नर मुकर्रर होगा या नहीं, आप पूछते हैं कि कौन सी जाति का होगा । एक का दूसरे से क्या सम्बन्ध है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीन से चावल का आयात

*१८३७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चीन से आयात किया गया चावल यहीं समाहार किये गये चावल की अपेक्षा दुगना महंगा है, यदि ऐसा है तो इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): चूंकि चीन से आयात किया गया चावल यहीं पर उत्पादित चावल से भिन्न है इस लिये दोनों की क़ीमतों का उचित रूप से मुकाबला नहीं किया जा सकता ।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रादेशिक आयुक्त

*१८३९. **श्री जांगड़े :** क्या **गृह कार्य** मंत्री वे क्षेत्र बतलाने की कृपा करेंगे, जिनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) क्या अपनी नियुक्ति के पश्चात् आयुक्त ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास भेजा है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : आसाम, पश्चिमी बंगाल, मनीपुर और त्रिपुरा एक प्रादेशिक सहायक आयुक्त के अधीन हैं।

(ख) जी हां। माननीय सदस्य का ध्यान श्री मूर्ति द्वारा ५ जून १९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५४३ के बारे में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है :

खाद्यान्न (हानि)

*१८४०. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में विदेशों से आने वाले और किसानों में इकट्ठे किए जाने वाले खाद्यान्नों को समय पर न उठाने और उसे उचित प से जमा करके

न रखने के कारण केन्द्रीय सरकार को लगभग कितनी हानि हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): कुछ नहीं।

इंजनों की प्राप्ति

*१८५०. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशों से आयात किये जाने वाले इंजनों और संयत्रों की कमी को पूरा करने के लिये अपनाई जान वाली प्रकिया सम्बन्धित मंत्रालयों से सलाह करके निर्धारित की गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके अधीन की गई कार्यवाही ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) तथा (ख). इंजनों के लिये दिये गए आर्डरों की कमी को पूरा करने के बारे में प्रक्रिया पर अन्य मंत्रालयों के साथ विशेष परामर्श करने की हाल ही के वर्षों में कोई आवश्यकता नहीं हुई है। माल प्राप्त करने वाला पक्ष खरीदने वाले अधिकारी को कमियों की सूचना देता है जो माल भेजने वालों से इस बारे में पूछताछ करता है

नई रेलवे लाइनें

४४३. **श्री इलयापेरुमल** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार मद्रास राज्य में नई रेलवे लाइनें खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को कल्लाकुरीची, थिरुवन्नामलाई और चीनासेलम के लोगों से एक रेलवे लाइन खोले जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; तथा

(ग) उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही हुई ह ?

रेल तथा यातायात मत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) कल्लाकुरीची तालुक के लोगों से चीनासेलम से तिरुचि होती हुई तिरूकोइलूर तक एक रेलवे लाइन बनाने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इस विशिष्ट लाइन पर विचार नहीं हुआ है परन्तु इसके स्थान पर केन्द्रीय यातायात बोर्ड ने चीनासेलम से थिबन्नामलाई और तिरूकोइलूर होती हुई चिगलपुट तक लाइन बनाने की योजना पर विचार किया था और उसने यह निश्चय किया था कि चूंकि सरकार की वित्तीय स्थिति इस समय ठीक नहीं इसलिये अभी इस योजना को स्थगित कर दिया जाये।

बिना साफ़ की गई चीनी

४४४. **श्री गणपति राम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ में भारत में देशी चीनी तयार करने वाली छोटी मशीनों की कुल संख्या ;

(ख) इन मशीनों से तैयार की गई देशी चीनी की कुल मात्रा ;

(ग) क्या सरकार इस उद्योग को संरक्षण देना सोचती है ; तथा

(घ) क्या मिल की चीनी और देशी चीनी की कीमतों में कोई अन्तर है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी अभी

उपलब्ध नहीं है, उसे इकट्ठा किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां । औसत दर्जे की देशी चीनी की कीमत आमतौर से मिल की चीनी की कीमत से २ रुपया प्रति मन कम होती है ।

डालर फ़सलें ,

४४५. **श्री गणपति राम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५२ से अप्रैल, १९५२ तक काली मिर्च और नींबू घास की कुल कितनी मात्रा निर्यात की गई और उसके द्वारा कुल कितने डालर प्राप्त हुए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : लगभग ३४०० टन काली मिर्च निर्यात की गई जिससे ४५७ लाख रुपये के मूल्य के बराबर डालर प्राप्त हुए । नींबू घास के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

नई ट्रेनों का चलाना और लाइनों का बढ़ाना

४४६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १९५१ और ३१ मार्च, १९५२ के बीच भारत में कितनी नई सवारी गाड़ियां चालू की गईं और कितनी गाड़ियां आगे बढ़ाई गईं;

(ख) उनमें से जनता एक्सप्रेस कितनी थीं;

(ग) नई सवारी गाड़ियों के कम्पार्टमेन्टों में से कितने कम्पार्टमेन्ट भारत में बनाये गये थे और कितने बाहर से आय; और

(घ) सन् १९५२-५३ में कितनी नई सवारी गाड़ियां चालू करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) २०२ नई सवारी गाड़ियां चालू की गईं और ९१ गाड़ियों को आगे तक बढ़ाया गया ।

(ख) छः ।

(ग) स्पष्ट है कि 'कम्पार्टमेन्ट' से अभिप्राय "कोचों" से है । यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं । परन्तु निर्दिष्ट काल में भारत में बने ७३८ डिब्बे और बाहर से मंगाये गये २ डिब्बे और ९६ इलेक्ट्रिक मल्टिपिल यूनिट लाइन पर लाये गये थे ।

(घ) १-४-५२ से १५-५-५२ तक २६ नई सवारी गाड़ियां चालू की जा चुकी हैं और ३८ गाड़ियों को आगे तक बढ़ाया जा चुका है । शेष वर्ष के बारे में ठीक ठीक तो नहीं बताया जा सकता परन्तु ऐसा प्रस्ताव है कि, यदि अतिरिक्त इंजन और डिब्बे मिल गये तो ३० गाड़ियों को और चालू किया जाये ।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना

४४७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के व्यय में कोई कमी की गई है;

(ख) सन् १९५०-५१ में और १९५१-५२ में जांच के लिये कितने मामले रजिस्टर हुए; तथा

(ग) इनमें से कितने कितने मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को दंड दिया गया, छोड़ दिया गया और विभागीय दंड दिया गया ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : जी हां। ८७,००० रुपये की मितव्ययता कटोती के अलावा जो सरकार ने सन् १९५१-५२ के आयव्ययक अनुदान में की थी। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ने अपन अनुदान में से

चालू वर्ष में खाली हुए स्थानों पर नियुक्तियां न करके ९९,४०० रुपये और छोड़ दिये थे।

(ख) तथा (ग). यह सूचना १९५०-५१ और १९५१-५२ के बारे में "गृह कार्य मंत्रालय के कार्य करण का पुनरीक्षण" में दी हुई है।

केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला

४४८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला को कलकत्ते से लखनऊ लाने के कारण ;

(ख) कलकत्ते में प्रयोगशाला के स्थान के लिये प्रति वर्ष कितना किराया दिया जाता है और लखनऊ में कितना दिया जायेगा ; तथा

(ग) क्या सारे कर्मचारियों को नई जगह पर लाया जायेगा ; यदि हां तो उनके रहने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) कारण इस प्रकार हैं :—

(१) प्रयोगशाला की कलकत्ते में तीन इमारत हैं जिसके कारण उसके काम में पूरी तरह समन्वय होना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अलावा उनमें से दो इमारतें ऐसी हैं जिनके अधिकारी बारबार उनके खाली कराने के लिये कहते रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं उनकी आवश्यकता थी। कलकत्ते में प्रयोगशाला के लिये कहीं और उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में सरकार के प्रयत्न असफल रहे थे परन्तु उसी समय केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, लखनऊ ने प्रयोगशाला के लिये पर्याप्त स्थान देने का प्रस्ताव किया।

(२) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला उन सुविधाओं का, जो केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था लखनऊ में उपलब्ध हैं, लाभ उठा सकेगी :

(i) वहाँ विषेश प्रकार के यंत्र और उपकरण मिल सकेंगे जो बहुत मंहगे हैं और जो हर जगह नहीं मिल सकते।

(ii) उच्च प्रकार की पुस्तकालय सुविधायें हैं।

(iii) वहां भारत के सर्वश्रेष्ठ 'पशु-गृहों, में से एक है।

(ख) कलकत्ते में इस समय कोई किराया नहीं दिया जा रहा है क्योंकि प्रयोगशाला सरकारी इमारत में है परन्तु जिन अधिकारियों की वह इमारत है उन्हें स्वयं उस की ज़रूरत है और उन्होंने प्रयोगशाला से उसे खाली करने के लिये कहा है। लखनऊ में २०,००० रुपये वार्षिक किराया देना होगा।

(ग) जी हां। परन्तु जगह धीरे धीरे करके बदली जायेगी जिससे कर्मचारियों को असुविधा न हो और काम में भी अधिक गड़बड़ न हो। उत्तर प्रदेश सरकार से लखनऊ में रहने के लिये मकानों की व्यवस्था करने की प्रार्थना की गई है।

दिल्ली जिला न्यायालय

४४९. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में दिल्ली के जिला न्यायालयों में कुल कितने मुकदमें आये ?

(ख) उनमें से कितने गैर सरकारी सम्पत्ति के बारे में थे और कितने सरकारी सम्पत्ति के बारे में थ ?

(ग) औसतन एक मुकदमे को निपटाने में कितना समय लिया गया ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ के सारे मुकदमे अभी नहीं निपटाये गये हैं। इसलिये प्रत्येक मुकदमें में लगा औसत समय निकालना संभव नहीं।

खाद्यान्नों का उत्पादन

४५०. **श्री बंसल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५१-५२ में खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में अभी कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के उत्पादन के मुकाबले में सन् १९५१-५२ का उत्पादन अधिक है या कम ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). सारे अनाजों के बारे में अन्तिम प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

बृहस्पतिवार,
१७ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

बृहस्पतिवार, १७ जुलाई १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१० म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

पश्चिमी बंगाल सम्बन्धी खाद्य नीति

अध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्तावों को लेंगे।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : लोक सभा में आयव्ययक सम्बन्धी वाद-विवाद के दौरान में, संघीय खाद्य मंत्री ने, जून में पश्चिमी बंगाल के अपने दौरे सम्बन्धी व्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा था कि जिलों में सस्ते अनाज की दुकानें खोली जा रही हैं और कलकत्ते में भी दुकाने खुल रही हैं जहां उपभोक्ताओं को सस्ते भाव पर चावल बेचा जायेगा।

पहले, एक पत्रकार-सम्मेलन में जो १३ जून १९५२ की कलकत्ते में हुआ था,

संघीय खाद्य मंत्री ने एक विस्तृत योजना की कुछ बातें बताई थीं जिसमें निम्न लिखित बातें थीं : (१) कलकत्ता और उसके औद्योगिक उपनगरों को शेष पश्चिमी बंगाल से पृथक करना, (२) वृहद् कलकत्ता को भोजन देने के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा उत्तरदायित्व ले लेना, (३) वृहद् कलकत्ता के बाहर पश्चिमी बंगाल में अनाज का अवाध संचरण होने देना, (४) १५ एकड़ से अधिक भूमि के स्वामियों से अनाज वसूलना, (५) कलकत्ता के बाहर पश्चिमी बंगाल में सस्ते अनाज की दुकानें खोलना, और (६) पश्चिमी बंगाल से अनाज के निर्यात का निषेध।

इस योजना पर अंशतः तत्काल ही और अंशतः अगले वर्ष अमल होना था। कलकत्ता और वृहद् कलकत्ता अलग ही है और जनवरी तथा जून १९५२ में ३००० टन चावल देने के अतिरिक्त भारत सरकार इस क्षेत्र के राशन की आवश्यकता का पूरा करने के लिये १००,००० टन चावल और भी देने के लिये तैयार है जो नियंत्रित भावों पर बेचा जायेगा। इस में से १८,००० टन पश्चिमी बंगाल में पहुंच भी चुका है। राशन की विद्यमान मात्रा के हिसाब से कलकत्ता और वृहद् कलकत्ता की चावल की आवश्यकता को पूरा करने के लिये यह १००,००० टन और पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा वसूल किया गया चावल दोनों मिला कर पर्याप्त रहेंगे।

[श्री ए० पी० जैन]

वृहद् कलकत्ता के लिये ३५०,००० टन गेहुं की आवश्यकता है और चार लाख टन से अधिक पश्चिमी बंगाल को पहले ही दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त संघीय खाद्य मंत्री ने यह भी पेशकश की थी कि उन्हें १००,००० टन आयातित चावल दे दिया जाये जो प्रत्येक राशन कार्ड वाले को प्रति सप्ताह छै छटांक के हिसाब से पड़ते के भावों पर बेचा जाये। इस मात्रा मे से भी ४४,००० टन चावल पश्चिमी बंगाल पहुंच चुका है। इस चावल को इस समय लगभग ४०० सस्ते भाव की दुकानों के द्वारा ३१ रुपया ६ आना के भाव से बचा जा रहा है।

शेष योजना को औस और अमान की फसलों के आने और उनकी वसूली हो जाने के पश्चात् लागू किया जायेगा जिस में ये बातें हैं—वृहद् कलकत्ता की खाद्य-आवश्यकताओं के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व लेना, अन्न की वसूली, पश्चिमी बंगाल में निर्बाध संचरण, भावों को स्थायी रखने के लिये दुकानों का खोलना।

चौबीस परगना तथा नदिया आदि के संकटग्रस्त क्षेत्रों के विषय में पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ यह प्रबन्ध किया गया था कि गरीबों को १०,००० टन गेहूं और १०,००० टन चावल १५ रुपये प्रति मन के हिसाब से वितरित किया जायेगा। यह वितरण ३,००० सस्ते अनाज की दुकानों के मारफत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल सरकार ने १५,००० मन चावल और १५,००० मन गेहूं इन क्षेत्रों में वितरण के लिये दिया है और वितरण आरंभ भी हो चुका है।

भारत सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को जितना अधिक गेहूं वह सरकार चाहे देने के लिये तैयार है। सदन को भारत में तथा बाहर दोनों स्थानों पर चावल की जटिल स्थिति का ज्ञान है ही। फिर भी भारत सरकार ने जो वचन दिया था उसका सारवान अंश पूरा कर दिया है और शेष को भी उत्तरोतर पूरा कर देगी।

अतः यह स्पष्ट है कि संघीय खाद्य मंत्री द्वारा घोषित नई खाद्य नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : कल संघीय खाद्य मंत्री श्री किदवई ने हैदराबाद में जो वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जिस समय यह विनिश्चय किया गया था तब कलकत्ता में ९० दिन का अनाज शेष था। यह वक्तव्य मंत्री महोदय का है। अब स्थिति बिगड़ रही है। आगे चल कर संघीय खाद्य मंत्री ने कहा :

> "राज्य को १५ एकड़ या उस से अधिक एकड़ भूमि वाले कृषक से ही वसूली करनी चाहिये। फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले को अनाज के जाने पर से पाबंदी हटा ली जायेगी।"

डा० राय का कहना है कि यह "योजना डा० चटर्जी और उनके मित्रों को बताई गई थी, और वे चाहते थे कि इस पर इसी वर्ष अमल हो परन्तु यह तभी हो सकता है जब केन्द्रीय सरकार कलकत्ता को छै लाख टन अनाज (ढाई लाख टन चावल और ३॥ लाख टन गेहूं) देने का उत्तरदायित्व ले ले। यह अभी संभव नहीं है।"

डा० राय ने श्री किदवई को तार दिया था "यदि आप इस खाद्य नीति को

तत्काल इसी वर्ष क्रियान्वित करने के लिए सहमत हों तो कृपया मुझे तार दे दीजिये जिससे हम तदनुसार कार्यवाही करें ।"

अतः अब किसी वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है, केवल यही दोहराना काफी है कि संघीय खाद्य मंत्री ने जो नीति घोषित की थी उसे पूरा किया जायेगा और जिस अनाज के भेजने का वचन दिया गया था वह भेजा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव की प्रवेश्यता का जहां तक सम्बन्ध है, अधिक स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं है । स्थगन प्रस्ताव में यही प्रश्न है कि भारत सरकार अपने आश्वासनों को पूरा करने में असफल रही। अब माननीय मंत्री के वक्तव्य से तथा डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी की वक्तृता से यह प्रकट नहीं होता है कि कोई असफलता है । जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसका कारण यह असफलता नहीं है । हम यहां पश्चिमी बंगाल की खाद्य स्थिति पर व्यापक चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि श्री किदवई की योजना पर अगले वर्ष अमल होगा, इस वर्ष भारत सरकार कलकत्ता के लिए अनाज नहीं दे सकती । अतः कहीं न कहीं गोलमाल है ।

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न बात है। इस समय तो खाद्य मंत्री के आश्वासन को पूरा न करने का ही प्रश्न है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या मंत्री महोदय के लिये यह स्पष्ट कह देना अभीष्ट नहीं होगा कि संघीय खाद्य मंत्री के वचन को अंशतः पूरा किया जा चुका है और शेष भाग को इसी वर्ष पूरा कर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में प्रवेश्यता के प्रश्न पर बहस से लाभ उठा कर आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये । माननीय मंत्री बता चुके हैं कि क्या क्या कदम उठाये गये हैं और कालान्तर में वे खाद्य मंत्री के वचन को निश्चय ही पूरा करेंगे ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह प्रश्न नहीं है, श्रीमान् । श्री किदवई के वक्तव्य के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने वृहद् कलकत्ता को ६ लाख टन अनाज देने का एकमात्र उत्तरदायित्व लिया था । उसमें से कितना दिया गया है । डा० राय का कहना है कि इस मात्रा को देने के विषय में उन्हें कोई वचन या प्रत्याभूति नहीं दी गई है ।

श्री ए० पी० जैन : इस वर्ष के लिए जो वचन दिया गया है और अगले वर्ष अन्ततः जो अनाज दिया जाना है उनके विषय में माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति प्रतीत होती है । वृहद् कलकत्ता के लिए कुल छः लाख टन की अपेक्षा है जिसमें से ढाई लाख टन चावल और साढ़े तीन लाख टन गेहूं है । जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने बहुत गेहूं दे दिया है, और गेहूं की खपत अधिकांश कलकत्ते में ही होती है, बाहर नहीं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : इन ३॥ लाख टन में से कितना गेहू दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : हम चार लाख टन दे चुके हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह अतिरिक्त मात्रा जो केवल कलकत्ते के लिए आवश्यक थी, समस्त पश्चिमी बंगाल के लिए दी गई है । आप दोनों को मिलाते क्यों हैं ?

श्री ए० पी० जैन : पश्चिमी बंगाल सरकार के पास रखने का स्थान बहुत सीमित है । पश्चिमी बंगाल के लिए अपेक्षित हो तो

[श्री ए०पी० जैन]

हम असीमित मात्रा में गेहूं दे सकते हैं—३॥ लाख टन से अधिक, जिसका कि वचन दिया गया है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : "केवल कलकत्ते के लिए" ऐसा कहिये ।

श्री ए० पी० जैन : हां, केवल कलकत्ता क्षेत्र के लिए । अतः गेहूं के देने का प्रश्न तो उठता ही नहीं, क्योंकि ३॥ लाख टन के अतिरिक्त, यदि कलकत्ता को अधिक चाहिये तो, हम अधिक भी दे सकते हैं ।

जहां तक चावल का सम्बन्ध है, संघीय खाद्य मंत्री ने दो वचन दिए थे । केन्द्रीय सरकार जनवरी और जून १९५२ के बीच ३० हजार टन चावल दे चुकी है । फिर खाद्य मंत्री ने वचन दिया था कि वे १००,००० टन चावल और भी देंगे जो कलकत्ते में नियंत्रित भावों पर बेचा जा सकेगा ।

पंडित एल० के० मैत्री (नवद्वीप) : नहीं, नहीं । सस्ती दुकानों के द्वारा ।

श्री ए० पी० जैन : मैं सस्ती दुकानों पर भी अभी आता हूं । इस मात्रा में से १८ हजार टन दिए जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त खाद्य मंत्री ने एक और भी वचन दिया था कि वे सस्ती दुकानों के द्वारा पड़ते के भावों पर बेचने के लिए १००,००० टन आयातित चावल भी देंग । इस मात्रा में से ४४ सहस्र टन दिय जा चुके हैं और वह चावल ४०० सस्ती दुकानों के द्वारा बेचा जा रहा है संघीय खाद्य मंत्री ने केवल ये ही वचन दिये थे । चालू वर्ष के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार ने कुछ वसूली की है और उस चावल में से वह कमी पूरी करेगी, ताकि वृहद् कलकत्ता को कुल २५०,००० टन चावल मिल जाए ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : अन्न वसूली की चर्चा की गई है । यह किदवई योजना नहीं है । वृहद् कलकत्ता के लिए भारत सरकार चावल दे सकेगी या नहीं, यही साधारण प्रश्न है, जिसका उत्तर साधारण होना चाहिये ।

श्री ए० पी० जैन : चालू वर्ष में पश्चिमी बंगाल सरकार का वृहद् कलकत्ते के लिए केवल २५०,००० टन चावल की आवश्यकता है । ऐसी व्यवस्था की गई है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने कुछ चावल वसूल कर लिया है और शेष चावल भारत सरकार अगले वर्ष दे देगी । इसका कुछ अंश पहले ही दिया भी जा चुका है । प्रश्न यह उठता है । जब पूरी योजना कार्यान्वित की जायेगी, तब पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा वसूल किया गया चावल वृहद् कलकत्ता को खिलाने के लिये प्रयुक्त नहीं किया जायेगा, अपितु शेष पश्चिमी बंगाल के लोगों के लिये प्रयुक्त होगा । अंतिम योजना अगले वर्ष अमल में आयेगी । यह उस अंतर्कालीन योजना से भिन्न है जिसे इसी वर्ष कार्यान्वित किया जाना था । और जिसे इस वर्ष अंशतः कार्यान्वित किया गया है । इसमें कलकत्ते के लिये चावल सम्मिलित है जो भारत सरकार देगी और पश्चिमी बंगाल में वसूल किया जायेगा । अगले वर्ष, वह केवल भारत सरकार द्वारा दिया हुआ चावल ही होगा ।

अध्यक्ष महोदय : स्थिति यह है कि चावल आयातित होने पर मिलेगा जो तत्काल उपलब्ध नहीं है, अतः योजना को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल के वसूल किये गये अन्न में से कुछ मात्रा ले वृहद् कलकत्ता के लिये लेने का निश्चय किया है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी: यदि आप वसूल किये हुए चावल को ले लेते हैं तो सारी योजना ही ठप्प हो जाती है, फिर शेष बंगाल को चावल कहां से मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय: वहां निर्बाध संचरण होगा और सभी क्षेत्र को एक क्षेत्र समझा जायेगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी: यदि आप वसूली का चावल शेष बंगाल से ले लेंगे तो भाव बढ़ जायेंगे और योजना ठप्प हो जायेगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं स्थिति को केवल समझने का और सदन को भी संभवतः समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि यद्यपि लम्बे वक्तव्य दिये गये हैं फिर भी कुछ भ्रान्ति प्रतीत होती है। खाद्य मंत्री ने एक योजना रखी थी जो स्वीकृत हो गई थी, जिसके अधीन उन्हों ने कलकत्ता और वृहद् कलकत्ता के लिये कुछ उत्तरदायित्व सम्भाला था। वह उत्तरदायित्व गेहूं और चावल दोनों के विषय में था। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है वे उसे इस वर्ष पूरा कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो अधिक मात्रा देने का पेशकश की है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, समूचे उत्तरदायित्व को पूरा करना वस्तुतः असम्भव है, क्योंकि देश में बहुत चावल नहीं है। हमें चावल विदेशों से मंगवाना है और उस विषय में वचन को पूरा करने के लिये माननीय खाद्य मंत्री ने यथाशक्य कार्यवाही की है। जहां तक मुझ स्मरण है, जब इस मामले पर चर्चा की गई थी तब यह विनिश्चय हुआ था कि इस वर्ष पश्चिमी बंगाल में वसूल किये हुए चावल का एक अंश कलकत्ता भेजा जायेगा। उसकी मात्रा १,३७,००० टन थी। इस चावल की पश्चिमी बंगाल में वसूली की गई है और उसे कलकत्ता क्षेत्र को भेजा जायेगा। यह प्रबन्ध किया गया, क्योंकि देश में अधिक चावल नहीं था। हां हम अधिक चावल प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है लगभग ९२ हजार टन या जितना भी हो, भेजा जा चुका है और शेष दे दिया जायेगा। वास्तव में वृहद् कलकत्ता के लिये भी जितना चावल अपेक्षित था, उसका भी बहुत अंश दिया जा चुका है और बहुत सा अंश इस वर्ष के दौरान में दे दिया जायेगा, परन्तु पूरी मात्रा नहीं दी जा सकती क्योंकि वह तो उपलब्ध ही नहीं है। अतः यह व्यवस्था की गई थी कि अभी पश्चिमी बंगाल के चावल में से कुछ भाग वहां भेजा जायेगा और यदि आवश्यक हो तो हम पश्चिमी बंगाल को अधिक गेहूं दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: समूची चर्चा को सुनने के पश्चात मैं नहीं समझता कि इस स्थगन प्रस्ताव पर आगे बहस करना लाभदायक होगा। मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता।

श्री एच० एन० मुखर्जी: (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): डा० राय के वक्तव्य और माननीय श्री जैन के इस सदन में दिये गये वक्तव्य में कुछ विरोधाभास होने से जनता में भ्रान्ति सी हो गई है, उसे केंद्र को एक वक्तव्य निकाल कर दूर कर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति शान्ति। मुझे तो केवल स्थगन प्रस्ताव से प्रयोजन है, भ्रान्ति दूर करना या न करना सरकार का काम है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य एक प्रकार से पूरा हो गया है। आश्वासन की पुष्टि कर दी गई है और आवश्यक सूचना तथा स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

विदेशियों के पंजीयन सम्बन्धी अधिनियम १९३९ के अंतर्गत निकाली गई विमुक्ति घोषणाएं

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं सदन पटल पर निम्न विमुक्ति घोषणाओं में से प्रत्येक की एक प्रति रखता हूं जो विदेशियों के पंजीयन सम्बन्धी अधिनियम, १९३९ के अधीन निकाली गई हैं:

(१) संख्या १/८/५२ एफ० आई० दिनांक ३१ जनवरी, १९५२ (१० घोषणाऐं)
(२) संख्या १/१०/५२ एफ० आई० दिनांक ५ फरवरी, १९५२
(३) संख्या १/११/५२ एफ० आई० दिनांक ७ फरवरी, १९५२ (२ घोषणाएं)
(४) संख्या १/१४/५२ एफ० आई० दिनांक १७ फरवरी, १९५२
(५) संख्या १/१५/५२ एफ० आई० दिनांक १९ फरवरी, १९५२
(६) संख्या १/१६/५२ एफ० आई० दिनांक २३ फरवरी, १९५२
(७) संख्या १/१८/५२ एफ० आई० दिनांक ७ मार्च, १९५२
(८) संख्या १/१९/५२ एफ० आई० दिनांक १८ मार्च, १९५२ (४ घोषणाएं)
(९) संख्या १/२०/५२ एफ० आई० दिनांक १९ मार्च, १९५२
(१०) संख्या १/२१/५२ एफ० आई० दिनांक २९ मार्च, १९५२ (५ घोषणाएं)
(११) संख्या १/२२/५२ एफ० आई० दिनांक १ अप्रैल, १९५२ (२ घोषणाएं)
(१२) संख्या १/२४/५२ एफ० आई० दिनांक ९ अप्रैल, १९५२
(१३) संख्या १/२८/५२ एफ० आई० दिनांक १६ अप्रैल, १९५२ (५ घोषणायें)
(१४) संख्या १/२९/५२ एफ० आई० दिनांक १३ मई, १९५२
(१५) संख्या १/३०/५१ एफ० आई० दिनांक २५ अप्रैल, १९५२
(१६) संख्या १/३१/५२ एफ० आई० दिनांक ५ मई, १९५२
(१७) संख्या १/३२/५२ एफ० आई० दिनांक २४ मई, १९५२ (३ घोषणाएं)

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या पी-३०/५२]

कच्छ मोटर यान नियमों १९५१ की अधिसूचना

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): मोटर यान अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अधीन, मैं कच्छ के मुख्यायुक्त द्वारा निकाली गई अधिसूचना संख्या जे-१५०/५० दिनांक ५ जुलाई, १९५१ की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं जिस में कच्छ मोटर यान नियम १९५१ दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या पी-२८/५२]

मैसूर लोहा तथा इस्पात कर्मशाला, भद्रावती द्वारा उत्पादित इस्पात के उचित धारण मूल्यों पर शुल्क-आयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं मैसूर लोहा तथा इस्पात कर्मशाला भद्रावती द्वारा उत्पादित इस्पात के उचित धारण मूल्यों पर शुल्क आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२(८७)/५२, दिनांक

पहली जुलाई १९५२ की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये सख्या पी-२९/५२]

भारतीय समवाय (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस प्रस्ताव पर अग्रेतर बहस जारी रखेंगे जो श्री सी० डी० देशमुख ने कल प्रस्तुत किया था :

"भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): इस विधेयक के पारित होने का हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अंग्रेजों के समय से ही भारत में स्थापित विदेशी समवायों के विरुद्ध बहुत कोलाहल मचता रहा है, क्योंकि वे देशी समवायों को हानि पहुंचाते थे। यह विधेयक इस लिये लाया गया है कि प्रधान मंत्री ने ो वर्ष पहले वैदेशिक पूंजी के विषय में जो बयान दिया था, उसी को कार्यान्वित करना है। अब इस देश में विदेशी पूंजी के लिये द्वार चौपट खुल जायेंगे।

इस विधेयक का कारण यह भी है कि हाल ही में भारत सरकार ने तीन तैल समवायों से करार किये हैं और कदाचित ऐसे ही और भी उद्योग भारत में स्थापित किये जायेंगे। भारत सरकार का स्टेन्डर्ड वेक्यूम से जो करार हुआ है उसके अनुसार इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत वह समवाय २५ वर्ष भारत में कार्य करेगा। एक प्रसन्नता की बात तो यह है कि भारत सरकार इस कालावधि में इन करारों को बदल या समाप्त कर सकती है। मुझे आशा है कि इस के अधीन भारत सरकार उचित प्रतिक देकर सभी विदेशी उद्योगों को २५ वर्ष से पूर्व ही समाप्त कर देगी। स्टेन्डर्ड वेक्यूम और भारत सरकार के मध्य करार में एक बात यह भी है कि भारतीयों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और श्रमिकों के लिये मकान व्यवस्था की जायेगी। अभी तक विदेशी समवाय भारत में ही भारतीय राष्ट्रजनों के विरुद्ध विभेद करते हैं। मुझे आशा है कि इन समवायों के साथ करार को पूरा करने में भारत सरकार इन उपबन्धों का खयाल रखेगी। ये तीनों समवाय ५० करोड़ की हैसियत के होंगे और विदेशों से आयातित ३० लाख टन कच्चे तेल को साफ करेंगे।

मेरे मित्र श्री बी० दास ने कल प्रश्न उठाया था कि युद्ध होने पर इन समवायों की क्या दशा होगी जब कि कच्चे तेल का आयात बंद हो जायगा। और यदि भारत में स्थित समवाय युद्ध के विषय में भारत सरकार की नीति का विरोध करे तब क्या होगा ? भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखना है।

श्री दास ने, जिन्हें लोक लेखा समिति के प्रधान के रूप में बहुत अनुभव है कहा है कि विदेशी समवाय भारत में एकाधिकार स्थापित कर रहे हैं। इन तीनों समवायों के साथ किये गये करारों में भी विक्रय तथा वितरण का कार्य भारतीय व्यापारियों को देने के विषय में कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जब तक इस मामले पर हमारा समाधान नहीं होगा तब तक इस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। पारित होने पर यह विधेयक इन तीन समवायों तक ही सीमित नहीं रहेगा, वरन् अन्य विदेशी उद्यमों पर भी लागू होगा।

[डा० लंका सुन्दरम्]

उद्योगों को कहां स्थापित किया जाये यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरे तैल समवाय को, जो काल्टेक्स के सहयोग से स्थापित किया जायेगा, विशाखापटनम में रखने पर बल दिया जा रहा है। मेरे विचार में इस मामले में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच कोई राजनैतिक झड़प नहीं होनी चाहिये। समवायों की स्थापना में प्रौद्योगिक कारणों पर ही विचार होना चाहिये। काल्टेक्स और भारत सरकार के विशेषज्ञ विशाखापटनम को उपयुक्त स्थान समझते हैं, पर लोग उसे बदलवाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। इसका निर्णय देश की सुरक्षा और हितों के अनुकूल ही होना चाहिये, किसी राजनैतिक आधार पर नहीं।

एक और बात। समवाय विधि समिति ने सिफारिश की थी कि समवाय विधि की व्यवस्था के लिये जो केन्द्रीय प्राधिकारी हो उसे अधिकार होना चाहिये कि किसी समवाय को इस धारा के क्षेत्र से मुक्त कर सके। माननीय वित्त मंत्री ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसा प्राधिकारी न होने की दशा में यह शक्ति केन्द्रीय सरकार को दे दी जानी चाहिये। मुझे सरकार की नियत पर संदेह नहीं है, परन्तु शीघ्र ही समवाय विधि सुधार समिति की सिफारिश को पूरा करना चाहिये। इन मामलों में करोड़ों रुपयों का प्रश्न होता है। इन करारों के ठीक मसौदे बनाने और ठीक अमल होने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह केन्द्रीय प्राधिकारी बन जाये तो मुझे संतोष हो जायेगा। परन्तु इस सदन को भी उन बड़े बड़े संविधाओं पर बाद में विचार करने का कुछ अवसर मिलना चाहिये जिस से कि 'लोकमत' और भारत सरकार में कोई विपरीतता उत्पन्न न हो। आशा है भारत सरकार शीघ्र ही उस केन्द्रीय प्राधिकारी की स्थापना करेगी और इस सदन को बड़े बड़े प्रश्नों पर विचार करने का अवसर भी देगी।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर): इस विधेयक से हमारे समवाय अधिनियम का एक सर्वोत्तम उपबन्ध हट जायेगा, अतः इस पर सभा में आलोचना की जा सकती है। वैदेशिक पूंजी को भारत में आने देने की आवश्यकता को मैं स्वीकार करता हूं, उसे तो प्रोत्साहन देना चाहिये। प्रधान मंत्री जी ने अप्रैल १९४९ में इस नीति का प्रतिपादन किया था। इस से हमारे आर्थिक मामलों पर विदेशी शक्तियों के नियंत्रण हो जाने की कोई विशेष आशंका नहीं है।

परन्तु इस विधेयक का प्रभाव तो भारतीय उद्योगों पर भी पड़ता है। मैं ने औद्योगिक वित्त निगम की चर्चा की थी। शिकायतें आती रहती हैं कि निगम का धन उन्हीं समवायों में लगाया जाता है जिनमें निगम के प्रभावी निदेशकों को अभिरुचि हो।

विदेशी तैल समवायों से करार करने में राष्ट्र के हितों का पूरा ध्यान रखना चाहिये। पहले ही हमारा पेट्रोलियम का संभरण विदेशियों के ही हाथ में है। इन करारों में कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिये और जैसा कि सुझाव दिया गया है उन पर सभा में विचार होना चाहिये। इस से सभा के विचारों से सरकार अवगत हो जायगी और भविष्य में सरकार का तदनुसार पथ-प्रदर्शन हो सकेगा। वैदेशिक पूंजी को विमुक्ति देते समय यह ध्यान

रखना चाहिये कि औद्योगिक वित्त निगम जैसी धांधली न हो।

९-० म० पू०

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : यह संशोधन है तो छोटा सा, और इससे भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ की धारा ९१ख का संशोधन ही किया जा रहा है, परन्तु इस का प्रभाव बड़ा दूरगामी है। कहा जाता है कि इस संशोधन का उद्देश्य एक करार विशेष को कार्यान्वित करना है और यह संशोधन राष्ट्र के हित में है। वित्त मंत्री ने समवाय विधि जांच समिति की सिफारिशों का भी उद्धरण दिया है। तैल समवायों के करारों को देखने से पता लगता है बर्माशेल समवाय के उद्योग में २२ करोड़ की पूंजी लगेगी और भारतीय अंश केवल दो करोड़ होगा। दूसरे एक उद्योग में २५ प्रतिशत अंश भारतीय होगा और इन में भारतीय नियंत्रण कुछ नहीं होगा, मतदान का अधिकार भी न होगा। इसके अतिरिक्त कच्चा तेल भी विदेशों से ही आयेगा। भारतीयों को प्रशिक्षण देने के विषय में भी कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है। आपात में ये वैदेशिक उद्योग राष्ट्रहित में कार्य करेंगे या नहीं इस पर तो संदेह है ही।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

हमारे देश में तैल की खोज करने या कोयले से तैल बनाने के विषय में सरकार को इन वैदेशिक समवायों से सहायता लेनी चाहिये थी। वर्तमान करार राष्ट्रहित की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते।

इन विदेशी समवायों द्वारा अन्य देशों में शोषण को हमें भूल नहीं जाना चाहिये। उन्होंने मध्य पूर्व के देशों में जो कुछ किया है वह विदित है ही। महान औद्योगिक श्री मास्टर ने ठीक ही कहा है कि वैदेशिक पूंजी सहसा ही इतनी उदार नहीं बन गई है कि वह भविष्य में भारत के लाभार्थ ही भारत आयेगी। ये समवाय आपात में जलपोतों को शरण देंगे। आर्थिक आधिपत्य बहुत बड़ी चीज है। आर्थिक स्वाधीनता न हो तो राजनैतिक सत्ता का हस्तांतरण व्यर्थ है। हमारे प्रधान मंत्री के सभापतित्व में स्थापित कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति ने कहा था विदेशी पूंजी के कारण भारत के आर्थिक और राजनैतिक जीवन पर विदेशी हितों का नियंत्रण सा हो गया जिससे राष्ट्रीय विकास में बाधा पड़ी है।

हमारे प्रदेश में विदेशी उद्यम २०० वर्ष पहले जैसा शोषण करते थे आज भी वैसा ही कर रहे हैं। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधान का समर्थन न करे जिस से किसी दिन हमारी राजनैतिक सत्ता भी जोखिम में पड़ सकती है। जब तक हम यह स्पष्ट न कह दें कि हम आंग्ल-अमरीकी आर्थिक आधिपत्य से बंध गये हैं तब तक हम इस विधान को स्वीकार नहीं कर सकते। पहले भी अंग्रेज व्यापार करने की सनद प्राप्त कर के ही दिल्ली आये थे और डेढ़ सौ वर्ष तक हम पर शासन तथा हमारा शोषण करते रहे। अतः हम इसका विरोध करते हैं। यह राष्ट्रहित में नहीं है, इन से हम देश के भविष्य को बेच रहे हैं, जिस से हमारी राजनैतिक शक्ति छिन जायेगी। हम वैदेशिक पूंजी के विरुद्ध नहीं हैं, परन्तु वह सरकारी स्तर पर या ऋण के रूप में ही आनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का कड़ा विरोध करता हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : यह स्पष्ट है कि सरकार

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

सामान्य सिद्धान्त को छोड़ना तो नहीं चाहती, परन्तु कुछ समवायों के विषय में अपवाद करना चाहती है जो भारत में बनाये गये हैं पर जिनका विदेशों में अपने प्रधान समवाय से सम्बन्ध है। अच्छा है कि यह शक्ति सरकार के पास रखी गई है जिससे कि अपवाद ही नियम न बन जाये, जब भी कोई अपवाद किया जाये सभा को परिस्थितियां बताई जानी चाहियें और यह भी कि किस लोकहित के लिये ऐसा किया जा रहा है।

मुझे भारत में विदेशी पूंजी के आने से कोई भय नहीं है। हम स्वतंत्र हैं। जब तक हमारी सरकार ठीक है कोई भय नहीं है यदि सरकार ही राष्ट्रहित के विपरीत कोई बात स्वीकार करले तो बैदेशिक पूंजी का क्या दोष है, हमारी सरकार का दोष है। इस विषय पर चार पांच वर्ष से विचार चल रहा है। हमें उन्हीं उद्योगों के विषय में वैदेशिक पूंजी आने देनी चाहिए जिनका विकास हम स्वयं नहीं कर सकते। तैल शोधक समवाय राष्ट्रीय महत्व के हैं, इससे मैं सहमत हूं। पर हमें यह शर्त रखनी चाहिए कि ५१ प्रति शत अंश भारतीयों के पास रहें या कुछ समय पश्चात् भारतीय अधिकांश अंशों को ले सकें।

अभी वे तैल शोधक समवाय २५ प्रति शत से अधिक पर सहमत नहीं हैं। हमें उनकी बात माननी ही होगी परन्तु एक अवधि हो सकती है जिसमें यह ५१ प्रति शत बन सके। हमें विदेशी पूंजीपतियों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, पर साथ ही साथ भारत के राष्ट्रीय हित की रक्षा भी करनी चाहिए।

भारतीयों को प्रशिक्षण देने पर अब बहुत बल दिया जा रहा है। किसी समवाय से करार करते समय यह अवश्य निश्चित कर लेना चाहिए कि भारतीयों को काम सीखने के लिए रखा जायेगा जिससे कि वे अन्ततः इन कामों को संभाल सकें। आसाम में कुछ वैदेशिक समवायों ने हाल ही में बहुत से भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया है। निकाला भी नहीं है। बात यह है कि कुछ भारतीयों को ड्रिलर का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण पूरा होने पर नौकर रख लिया जाता है। अभी फारस से उन विदेशियों को बुलाया जा रहा है जो फारस तैल समवाय संबन्धी झगड़े के कारण बेकार हो गए हैं। इस कारण उन लोगों को निकाल दिया जाता है जिन्हें आश्वासन दिया गया था कि प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें नौकर रख लिया जायेगा। उन्हें कह दिया जाता है "आपका काम ठीक नहीं है"। पाकिस्तान में भी चिटागांव में ऐसा ही हुआ था, पर वहां की सरकार ने दृढ़ता से काम लिया और लगभग सभी आदमी वापिस ले लिये गए। देखिए, सहसा भारतीय और पाकिस्तानी नालायक सिद्ध होने लगे और फारस से अंग्रेज नौकर बुलाए गए हैं।

केवल तैल समवायों में ही ऐसी बात नहीं है। कलकत्ता में बहुत से ब्रिटिश समवाय हैं। १९४७ में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् बहुत से अंग्रेज नौकर यहां रहना नहीं चाहते थे। और अंग्रेज कर्मचारियों की संख्या कम होने लगी थी। अब फिर पासा पलट गया है, और अधिकाधिक विदेश पुनः रखे जा रहे हैं, केवल शिल्पिक पदों पर ही नहीं, सामान्य स्थानों पर भी किस न किसी बहाने से योग्य भारतीयों को निकाल कर विदेशी रखे जा रहे हैं। इस बात को सहन नहीं करना चाहिये। मैं विदेशियों की नियुक्ति के

विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु जहां भारतीय न मिलें वहीं उन्हें रखा जाय और उनका स्थान लेने के लिए भारतीयों को तैयार किया जाये। इस विषय में यहां वाद-विवाद होने से उन लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिएं। इस विषय में कोई व्यापक सिद्धान्त होना चाहिए।

वित्त मंत्री ने जिस सामान्य नीति का प्रतिपादन किया था कि हमें प्रधानतः राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर कोई मत भेद नहीं है, राष्ट्रहित में ही वैदेशिक पूंजी का आयात होना चाहिए। चाहे हम सरकार की कितनी ही आलोचना करें, पर कोई भी सरकार ऐसी बुरी नहीं हो सकती जो देश को विदेशी पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहे, अथवा जहांगीर की गलती को दौहराये। सन् १९५२ में यह सम्भव नहीं है कि विदेशी पूंजीपति व्यापारी बन कर आयें और भारत को ५० वर्ष बाद धोखे से जीत लें। पर हमें उचित प्रतिकर देकर विदेशी समवायों के राष्ट्रीयकरण का अधिकार अपने पास रखना चाहिये।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय यह विधेयक जो भवन के सामने है, इसके द्वारा हम कम्पनी एक्ट समवाय (अधिनियम) की दफ़ा ९१बी के कुछ प्राहिबिशन्स (प्रतिषेधों) को ढीला करना चाहते हैं। जब ऐसे निषेध, ऐसे प्राहिबिशन्स जैसे कि दफा ९१बी में दिए हुए हैं, उनको ढीला करना होता है तो यह आवश्यक होता है कि हम देख लें कि ऐसे निषेधों को ढीला कर देने का क्या नतीजा होगा। यह निषेध अत्यावश्यक हैं। इन का संबंध डाइरेक्टरों (निदेशकों) से है जो कि कम्पनी के अधिकारी होते हैं, और जब कोई उनसे सम्बन्ध रखता हुआ प्रश्न कम्पनी के सामने आये, उनकी किसी कमेटी की बैठक में आये तो उनको इस पर मत देने का अधिकार नहीं होता। इस प्रकार का निषेध किसी कम्पनी के काम को अच्छा तरह से चलाने के लिए इतना आवश्यक है और इतना लाभदायक है कि जब कभी हल इसमें ढीलापन लाने की कोशिश करें या किसी वजह से इस को आवश्यक समझें तो यह जरूरी होता है कि देख लें कि इस निषेध का ढीला करने का क्या नतीजा होगा, इससे क्या हानियां हो सकती हैं, और जब तक कोई बहुत बड़ा लाभ न हो, इस ढीलेपन की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसा हम देखते हैं, जो प्रश्न हमारे सामने है यहां पर निषेध को ढीला करना आवश्यक समझा गया है और इस में सन्देह भी नहीं कि यह आवश्यक है और यह देश के लिए उपयोगी है। जैसा कि डा० मुखर्जी साहब ने भी अभी स्वीकार किया वह कई तरह से उपयोगी है। उन्होंने कई सझाव भी दिये हैं जिन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा।

जब हम देखते हैं कि ऐसे निषेध को ढीला करने से इतना लाभ है तो इस को ढीला करने में यदि थोड़ी हानि भी हो दिक्कते भी हों, और कुछ प्रतिबन्ध भी लगाने पड़ें तो भी इसका करना आवश्यक प्रतीत होता है। अगर इस निषेध को ढीला करने से हमारी सरकार को यह अधिकार हो कि जहां कहीं अवसर मिलने पर वह देश को फायदा पहुंचा सकती है तो उनको यह अधिकार दे दिया जाना उपयोगी होगा इस से पहले एक बात यह है कि विदेशों से पूंजी हमारे देश को आती है और उस पूंजी के ज़रिये से जो उद्योग धंधे कायम होते हैं उसका उपयोग हम अच्छी तरह समझते हैं और फिर जो मुआहिदे हुए हैं इस सम्बन्ध में विदेशों के कम्पनियों से, उनकी उपयोगिता को भी हमन देखा और अपन मित्रों से सुना

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

मैं समझता हूं कि इस पर कोई अधिक मतभेद नहीं है, सिवा इसके कि हमारे श्री बासु ने यह प्रकट किया कि उन को यह आदेश हो कहीं ऐसा न हो कि एकानमिक कंट्रोल (आर्थिक नियंत्रण) बाहर वालों का हो जाये, एकानमिक डामिनेशन (आर्थिक आधिपत्य) उन लोगों का हो जाय। ऐसा सन्देह उन्होंने प्रकट किया किन मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार हम छोटी छोटी बातों पर सन्देह करते रहें तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई दूसरे मुल्क वाले लोग अगर यहां पूंजी लगा कर उद्योग धंधे करते हैं तो ऐसा समझना कि वह हमारी एकानमी (अर्थ-व्यवस्था) पर हावी हो जायेंगे, मेरी समझ में इन्फीरियारिटी कम्प्लेक्स (हीन भावना) की बात है वरन् हमें ऐसा सन्देह करना उचित नहीं मालूम होता है। जो मुआहिदे हुए हैं वे हमारे पक्ष में हैं, जो बातें हम ने दूसरे मुल्कों से तय की हैं इस सम्बन्ध में, उनसे हमारा फ़ायदा है। उस फ़ायदे को देखते हुए हम अपने निषेध को जो इस कम्पनी एक्ट में दिया हुआ है, दफ़ा ९१ बी में ढीला करने की सोच रहे हैं। लेकिन एक ख़तरा जो मुझे लगता है वह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं। वह खतरा यह है कि जहां कहीं उस की आवश्यकता देश के हित में है वहां तो ठीक है, लेकिन समें हम जो संशोधन ला रहे हैं उस में विशेष रूप से यह नहीं कह रहे हैं कि यह उन्हीं कम्पनीज़ के सम्बन्ध में, या उन्हीं संस्थाओं के सम्बन्ध में हैं जिनसे हमारा मुआहिदा हो चका है और हम इन निषेधों को उन्हीं के सम्बन्ध में ढीला करेंगे। या हम इन प्राहिबिशन्स को उन्हीं के सम्बन्ध में रिलैक्स (ढीला) करेंगे यह हमारे संशोधन में साफ़ तौर से नहीं दिया हुआ है। इस लिए अन्देशा यह है कि कहीं यह ढीलापन आम तौर से हमारे स्थानीय कम्पनियों के सम्बन्ध में न होने लग और अगर ऐसा होता है तो दरअस्ल यह बड़ा ख़तरनाक होगा। जहां तक हमारी केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है और जहां तक मंत्री महोदय या और ऐसे ही लोगों के हाथ में यह काम होने का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि कोई ऐसी गल्ती नहीं हो सकती, कोई एसा अन्देशा किसी को नहीं होना चाहिये। लेकिन जब यह कार्रवाई चलने लगती है तो बहुधा नीचे के अफ़सरों की रिपोर्टों पर कार्रवाई होने लगती है और अगर कभी इस तरह की कार्रवाई हो और जितने अफसरों को इसमें रक्खा जाय उनकी रिपोर्टों पर कार्रवाई करके कम्पनियों को मुस्तसना किया जाय, या उनके सम्बन्ध में निषेध ढीले किये जायें तो उस जगह पर यह बड़ा खतरनाक होगा। अगर यह नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि यह जो निषेध को ढीला करने की नीति इस संशोधन के द्वारा लाई जा रही है, वह हर प्रकार से उपयोगी होगी।

एक बात मैं और निवदन करना चाहता हूं। अभी डा० मुखर्जी साहब ने चन्द कम्पनियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहा कि उन्हें अन्देशा है। मैं उन से इस में सहमत हूं कि जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, जहां तक उन कम्पनियों में कर्मचारियों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिये। और जैसा उन्होंने सुझाव दिया कि अगर हम ५१ फीसदी के करीब शेअर अपने पास रक्खें, अर्थात् हिन्दुस्तान की कम्पनियों के हाथ में रक्खें तब हम कामयाबी, के साथ उन पर अनुशासन रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो स्थिति है, जो मुआहिदे ए हैं उन मुआहिदों के

अनुसार हम ५१ फीसदी रख ही नहीं सकते हैं। हम मजबूर हैं पच्चीस फीसदी रखने के लिए, उन्होंने एक और सुझाव दिया कि धीरे धीरे कुछ दिनों में ऐसा किया जाय कि यह बढ़ कर ५१ फ़ीसदी या उससे ज्यादा हो जाय। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में पच्चीस वर्ष में कम्पनियां सरकारी हो जायेंगी, अग्रीमेन्ट (करार) में उन के लिए पच्चीस वर्षों का समय है। तब तक यह हकूक उन को रहना ही चाहिये। इसलिय मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है।

जो कुछ उन्होंने कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहा उस का ध्यान रखना मेरी सम्मति में आवश्यक है। यह विधेयक जो लाया गया है बड़ा उपयोगी है और अगर वह खतरा जो मैंने आप से निवेदन किया उस से हम बचें तो मैं समझता हूं कि इससे हमारा हर प्रकार से लाभ होगा।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : हमें एक भ्रांति को दूर कर देना चाहिये और यह समझ लेना चाहिये कि धारा ९१ ख का प्रतिषेध आगे भी प्रवर्तन में रहेगा उस के प्रवर्तन पर कोई निर्बन्धन या सीमा नहीं होगी। धारा ९१क, ९१ख और ९१ग निदेशकों के हितों को प्रकट करने के सम्बन्ध में है। हम धारा ९१ ख के सारवान उपबन्धों को नहीं बदल रहे हैं, अपितु एक नया उप-खंड (४) जोड़ रहे हैं जो उन नये समवायों के विषय में है जो विदेशों में स्थित समवायों के सहायक समवाय होंगे। यदि हम इन समवायों की स्थापना चाहते हैं तो यह नितान्त स्पष्ट है कि हमें धारा ९१ ख के प्रतिषेधों को कुछ ढीला अवश्य करना होगा। अब वर्तमान उपबन्धो के अधीन सहायक समवायों के अधिकांश निदेशकों के लिए मूल समवाय सम्बन्धी मामलों में मत देने को मनाही है, क्योंकि वे मूल समवायों के नाम-निर्देशित व्यक्ति होंगे। उनकी उपस्थिति गणपूर्ति के लिये भी नहीं गिनी जायेगी। वे बहुमत में होंगे, पर मत न दे सकेंगे। अतः हमें इस विषय में कुछ करना होगा अन्यथा सहायक समवाय स्थापित ही नहीं हो सकेंगे।

अब हमने उप-धारा (४) द्वारा कोई व्यापक विमुक्ति नहीं दी है। विमुक्ति देना भारत सरकार के अधीन होगा और ऐसे अपवादों, रूपभेदों या शर्तों के अनुसार होगा जो अधिसूचना में उल्लिखित हों। अतः विमुक्ति भी पूर्ण नहीं होगी।

विदेशी पूंजी के आयात के विषय में मैं श्री वी० दास के समान आतंकित नहीं हूं। पर स्टेन्डर्ड वेक्यूम तथा कालटेक्स समवाय बहुत विराट संस्थायें हैं, विश्वव्यापी संगठन हैं, शक्ति तथा प्रतिष्ठा में राज्यों से भी ऊपर हैं। उन से सम्बन्ध रखने में हमें बहुत सावधान होना चाहिये। डा० लंका सुन्दरम ने कहा कि इन समवायों से करार करने का अर्थ यह है कि भारत सरकार देश में रुपये के रूप में पूंजी उगाहने में असमर्थ रही है। परन्तु यदि हम ५० करोड़ रुपया प्राप्त कर लें तो क्या इस से भारत में तैल शोधक कारखाना बन सकेगा? रुपये के ढेर से काम नहीं चलेगा। हमें तो उपकरण चाहियें, बहुत विशेष प्रकार के उपकरण, और उन्हें प्रयोग करने का ज्ञान जो अभी विदेशियों को ही प्राप्त है। यदि ५० करोड़ रुपया हो तो हमें विदेशों से उपकरण मँगाने होंगे, जिनके लिए डालर विनियम नहीं है; यदि है तो वे उपकरण खुली मंडी में कहां मिलते हैं? फिर कारीगरों की उपेक्षा होगी। अतः रुपये के रूप में पूंजी के उपलब्ध न होने का सामान्य प्रश्न यहां संगत नहीं है।

अन्ततः मैं कहता हूं कि संशोधन का क्षेत्र बहुत सीमित है और देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप है।

श्री नम्बियार (मयूरम) : हमें बताया जा रहा है कि अधिनियम में कुछ रोड़े हैं जो विदेशों से पूंजी तथा पदार्थों को भारत में आने से रोकते हैं। संशोधक विधेयक से उन्हें दूर किया जाता है जिस से कि देश में अधिक विदेशी पूंजी आ सके और देश समृद्धशाली बन सके। यह भी बताया गया है कि हमें अधिकाधिक तेल चाहिये। अतः इन लोगों का हमारे उद्योग की सहायता करने के लिए बुलाया जा रहा है। पर ये सुविख्यात समवाय क्या करेंगे? वे भारत में ६० करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लायेंगे और साथ ही कच्चा तेल भी लायेंगे जो कि भारत में साफ किया जायेगा। वह कच्चा तेल शुल्क-मुक्त होगा और वे समवाय २५ वर्ष तक असीमित लाभ भारत से बाहर भेज सकेंगे। उन्हें दस वर्ष तक सीमा-शुल्क से रक्षण भी दिया जायेगा।

यदि कच्चा तेल बाहर से मंगाया जाता है तो हमें क्या लाभ होगा? ये समवाय ४० प्रतिशत अर्थात् २० करोड़ रुपये तक हमारा दोहन कर के ले जायेंगे और बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के तीन पत्तनों पर ३०,००० टन तक के तैल पोतों को ठहराने की व्यवस्था कर सकेंगे। इस प्रकार हमारे उद्योग की सहायता करने के स्थान पर भारतीय अर्थ-व्यवस्था में वे अपनी टांग अड़ा सकेंगे और भारत का अधिक शोषण कर सकेंगे। अतः हमें उनको यहां नहीं आने देना चाहिये।

५ दिसम्बर १९५१ के **'अमेरिकन रिपोर्टर'** में छपा था कि एक अमरीकी समवाय स्टेन्डर्ड वेक्यूम तेल सयवाय बंगाल बेसिन के ७३,००० वर्ग मील क्षेत्र का वैमानिक परिमाप करेगी और मेगनेटो-मीटर से उस भाग की गुप्त चट्टान-रचना का पता लगाया जायेगा। इस प्रकार वे भारत में सामरिक महत्व के स्थानों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यह अमरीकी युद्ध-व्यवस्था का कार्य है कि भारत के वृद्ध-सामरिक स्थानों पर नियंत्रण स्थापित करे। जब हमारा उद्देश्य अपने सम्पत्ति-श्रोतों का विकास करने का है, हम इन्हें विदेशी समवायों के हाथ क्यों बेचें, उन्हें हमारे ऊपर आधिपत्य क्यों स्थापित करने दें? क्या इन विदेशियों को यहां आने देकर हम राष्ट्र का हित-साधन कर रहे हैं, विशेषतः जब कि ईरान में तैल-हितों पर ब्रिटिश आधिपत्य का इतना विरोध हो रहा है? वहां सम्पूर्ण ईरानी राष्ट्र संघर्ष में संलग्न है। जब एशिया के लोग सब स्थानों पर एकाधिपत्य का विरोध कर रहे हैं, हम उन्हें यहां स्थापित होने दे रहे हैं। क्या यही राष्ट्रहित है? उन्हें भारत के श्रमिक का शोषण करके हमारे श्रम-कल्याण विधानों का उल्लंघन करने का अधिकार दिया जा रहा है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

आप पूछ सकते हैं: फिर हमें तेल कहां से मिलेगा? भारत सरकार को भारतीय उद्योगपतियों की सहायता करनी चाहिये जिस से कि वे कोयले से, जो यहां काफी है, तेल बनाने के उपायों का पता लगा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्थापना का समर्थन न करके, माननीय सदस्य तैल समवायों को आने से रोकना चाहते हैं।

श्री नम्बियार: नहीं श्रीमान् । केवल ये ही नहीं, कुछ अन्य विदेशी समवाय भी आने वाले हैं । बम्बई 'कामर्स' पत्रिका में से एक उद्धरण देता हूं जिसके अनुसार बहुत से विदेशी निर्माता भारत में आने की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं, विशेषतया एक अमरीकी समवाय सरकार के सहयोग से या गैर-सरकारी पूंजी से इस्पात तथा टिटेनियम के निर्माण का कारखाना खोलने के लिये तैयार है । फिर उसी पत्र के अनुसार फ्रांस के एक समवाय द्वारा विशाखापत्तनम के जहाज़-निर्माण कारखाने के विकास में भाग लेने की प्रस्थापना है । अतः केवल इन तैल-समवायों का ही प्रश्न नहीं है । यदि यह विधेयक पारित हो जायेगा तो अन्य विदेशी पूंजीपतियों को यहां आने का अवसर मिल जायगा । वे तो टिटेनियम का कारखाना भी स्थापित करना चाहते हैं, जिससे वे अणुबम बनाकर तृतीय महायुद्ध आरम्भ कर सकते हैं । अतः ये विमुक्तियां नहीं दी जानी चाहिये वे राष्ट्रहित में नहीं हैं । उनसे हानि है । निश्चित और ठोस खतरा है । यदि हम विमुक्तियां देते हैं तो यह आत्म हत्या करना ही है । दूसरी बात यह चीज़ भारत के जनसाधारण के और श्रमिकों के विरुद्ध है । तीसरी बात, इससे भारत उन विदेशी पूंजीपतियों पर अधिकाधिक आश्रित हो जायगा । अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : माननीय वित्त मंत्री ने इस विधेयक का औचित्य सिद्ध करने के लिये समवाय विधि समिति के प्रतिवेदन की कंडिका ९८ का निर्देश किया है । उस प्रतिवेदन में लिखा है कि धारा ९१ख में ऐसे निर्देशक पर एक उचित प्रतिषेध लगाया गया है जो ऐसा संविदा करता है जिस में उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष हित होता है । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इस धारा को अधिक कठोर बनाना चाहिये । और प्रतिषेध को अधिक जटिल कर देना चाहिए । धारा ९१ख के अनुसार प्रतिषेध का उल्लंघन करने वाला संविदा अवैध होगा । समिति ने यह भी कहा है कि उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड को १००० रुपये से बढ़ाकर ५००० कर देना चाहिये । समिति ने एक अन्य सिफारिश भी की है जिसके अनुसार यह विधेयक लाया गया है । माननीय वित्त मंत्री का पक्ष ही है कि लोकमत यह है कि हमारे आर्थिक हितों पर विदेशी समवायों की स्थापना से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ।

एक बात यह भी है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १४ के विरुद्ध है । उच्चतम न्यायालय के कई हाल के निर्णयों से स्थिति स्पष्ट हो गई है । भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति पातञ्जलि शास्त्री ने शोलापुर केस में कहा है कि जब आप कोई वर्गीकरण करें या किसी व्यक्ति को कोई विमुक्ति दें तो वह "ऐसे अन्तर पर आधृत होनी चाहिये जिसका प्राप्य उद्देश्य से बुद्धिवादी के अनुरूप सम्बन्ध हो ।" यदि कानून में कोई ऐसा अन्तर विहित न हो तो जिस का ऐसा सम्बन्ध हो तो वह अनुच्छेद १४ के विपरीत है ।

एक अन्य केस में, पश्चिमी बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम के केस में ऐसे ही शब्द थे जैसे यहां हैं । उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शीघ्र मुकदमा करने की आवश्यकता विभेद का बुद्धिवादी आधार नहीं बन सकती । अतः

[श्री एन० सी० चटर्जी]

यह भी विचारणीय है कि यहां अन्तर करने की कसौटी न रखने से, और केवल लोक हित का नाम लेने से क्या यह बुद्धिवादी आधार बन जायगा ।

अर्वाचीन मामले लक्ष्मणदास केवल राम बनाम बम्बई राज्य में उच्चतम न्यायालय ने बम्बई सार्वजनिक सुरक्षा उपाय अधिनियम को विधान मण्डल के अधिकार वाह्य घोषित किया है क्योंकि उसमें सरकार को प्राधिकार दिया गया था कि वह विभेद करके जिसी मामले को विशेष न्यायाधिकरण में भेज सकती थी जिसमें विशेष प्रक्रिया थी। अतः कानून में ही कसौटी विहित होनी चाहिये ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मेरे विचार से पहले तथ्यों सम्बन्धी पृष्ठ भूमि देना मेरे लिये अधिक अच्छा रहेगा। हम दो समवायों के साथ करार कर चुके हैं और तीसरे से अभी कर ही रहे हैं, और यही प्रधान कारण है कि हम दोनों समवायों के साथ हुए करारों को सदन के समक्ष वहीं रख सकते । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उपयुक्त समय आने पर हम ऐसा कर सकेंगे । वह समय शायद उस समय तक न आये जब तक कि तीसरे समवाय से हम करार न कर चुकें। कुछ ऐसे खण्ड भी हैं जिन पर और भी कार्यवाही अपेक्षित है और इस समय सभी करारों को प्रकट कर देना लोकहित में नहीं है । परन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि उन्हें इसलिये गुप्त नहीं रखा जा रहा है कि उनमें कोई राजनैतिक शर्तें हैं या लोकहित से असम्बद्ध कोई कारण है ।

अब दो करारों के अनुसार, समवायों ने भवन निर्माण कार्य आरम्भ भी कर दिया है, और उन्होंने उसा वंजनिक सीमित दायित्व समवाय स्थापित किये हैं, क्योंकि उनके मार्ग में कठिनाई है जिसे हम इस उपबन्ध द्वारा दूर करना चाहते हैं अतः आज हम इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं कि हमें ये करार करने चाहियें या नहीं । करार तो हो चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा है उपयुक्त समय आने पर सदन को उन पर अपना मत अभिव्यक्त करने का अवसर मिलेगा ।

परन्तु आज तो प्रश्न यही है कि इन समवायों की कार्यवाही चलती है तो क्या हमें करार की उस शर्त को कार्यान्वित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये जो नियंत्रण करने की प्रणाली से सम्बद्ध है । इस विधेयक का यही सीमित लक्ष्य है । इसका उद्देश्य वह नहीं है, जो एक माननीय सदस्य ने बताया है कि विदेशी पूंजी को आकृष्ट करना है । मैंने अपनी वक्तृता को दुबारा पढ़ा है और उसमें मुझे विदेशी पूंजी को आकृष्ट करने का कोई निर्देश नहीं मिला । मैंने तो यही कहा था कि यह बात तैल समवायों के साथ किये गये करारों से उत्पन्न हुई है, यद्यपि यही सिफारिश सामान्य भाषा में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन और सिफारिशों में भी है । अतएव मैं विरोधी दल के दो सदस्यों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने विदेशी पूंजी को बुलाने से हमारे लिये उलझन पैदा होने के संकट की ओर ध्यान आकृष्ट किया है । मैं उसी बात पर पुनः बल देना चाहता हूं जो एक माननीय सदस्य के मुंह से निकली थी कि उन्हें अत्यधिक संदेह है और उनमें आत्म-विश्वास का अत्यधिक अभाव है । अब स्वतंत्रता के आगमन से समस्त परिस्थितियां ही बदल

गई हैं और मझे इस बात में कोई संदेह नहीं है—और मैं यहां समूची सरकार के दृष्टिकोण को व्यक्त कर रहा हूं--कि यहां विदेशी समवायों या विदेशी पूंजीपतियों के आने से जो राजनैतिक या अन्य उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं उनसे निबटने में हम समर्थ होंगे। हम उनका उसी हद तक स्वागत करेंगे जब तक कि वे भारत के हित की वृद्धि करें। यही प्रधान कसौटी होगी।

विशेषतः, तंजोर के माननीय सदस्य ने कच्चे तेल के विषय में जो बातें कहीं वे मझे कुछ कच्ची सी दिखाई दीं, क्योंकि हम हर हालत में तेल तो किसी न किसी रूप में खरीद ही रहे हैं और लाभ भी बाहर जा ही रहा है। हम तो यही कहते हैं कि हम इन समवायों को यहां कच्चे तैल को साफ करने की अनुमति दे देंगे। जो लाभ बाहर जा रहा है उसे सीमित करने का इतना विचार नहीं है जितना कि आपने यहां के लोगों को नौकरियों का और विविध कामों के सीखने का अवसर देने का है। तैल शोधक कारखानों से उत्पन्न इतने गौण पदार्थ हैं और उनके निर्माण में और प्रयोग में हमारे अपने लोग अवश्य अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

इससे मैं एक और प्रश्न पर आता हूं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया था। यह ठीक है कि यह ऐसा प्रश्न है जिस का हमें सदा ध्यान रखना चाहिये। करार में एक खंड है और मेरे विचार में प्रेस विज्ञप्ति में भी इसका निर्देश है।

मेरे विचार में, एक माननीय सदस्य, श्री बासु ने कहा था कि उन्हें प्रशिक्षण सम्बन्धी शर्तों का कोई निर्देश नहीं मिला मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे विज्ञप्ति को पुनः देखें। मैं उसे पढ़ कर सुनाने में सदन का समय नहीं लूंगा, परन्तु मैंने उसे फिर देख लिया है। मेरे पास यहां उसकी प्रतियां हैं और मैं देखता हूं कि इसमें एक शर्त है कि ये समवाय सभी स्तरों पर नौकरी और प्रशिक्षण के अवसर देंगे। माननीय सदस्य ने जो सामान्य प्रश्न उठाया था उसकी जानकारी मुझे करा दी गई है और जो भी स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे सधारने के निमित्त हमारे लिये अन्य उपाय करना संभव होगा। ऐसी बात में समझाने या आवश्यक हो तो धमकाने से बहुत काम बन जायेगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। मुझे आश्चर्य होगा यदि विदेशी समवाय अर्वाचीन परिस्थितियों की अवहेलना करके हमारी मंत्रणा, फटकार और, यदि आवश्यक हो तो, विरोध के बावजूद ऐसा कार्य करते रहें जैसा कि कहा गया है कि वे कर रहे हैं। अतः मेरे विचार में इस परिस्थिति का ध्यान रखा जायेगा।

अतएव, मुझे आशा है कि इन प्रारम्भिक बातों के पश्चात् समस्या अपने ठीक रूप में आ जाती है। फिर हमें यह सोचना चाहिये कि जो प्रस्थापना की गई है वह गुणावगुण पर ठीक है या नहीं।

इससे मैं नियंत्रण के प्रश्न पर और भारतीय पूंजी को जो स्थान दिया गया है उस पर पहुंच जाता हूं। वह जानकारी भी प्रेस विज्ञप्ति में है—एक समवाय के विषय में २५ प्रतिशत, और दूसरे में २० में से दो करोड़ है जिसे बढ़ा कर तीन किया जा सकता है। कुल पूंजी बहुत बड़ी है और उसका २५ प्रतिशत भी बहुत हो जाता है। और इस देश में हमारे पास पूंजी की कमी होने से ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि व्यवहारिक

[श्री सी० डी० देशमुख]

दृष्टिकोण से ४१-५१ के अनुपात पर बल देन से कोई लाभ नहीं होगा यद्यपि यहां अनुपात हमारा सामान्य नियम है । यदि वह २५ प्रतिशत या दूसरे समवाय के विषय में दो करोड़ भी सुलभता से मिल जाये तो मुझे अत्यन्त आश्चर्य होगा । परन्तु मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि हमें किसी समय, मेरी प्रत्याशा से विपरीत, यह पता लगे कि हमारे पास बहुत सी फालतू पूंजी है तो हो सकता है कि हमारे लिये यह संभव होगा कि उन समवायों से हम कुछ समय बाद इस मामले पर बातचीत कर सकें। हम उन समवायों के स्थापित होने के पश्चात् उन्हें समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं कि वे भारतीय पूजी के लिये द्वार खोल दें। अतः नियंत्रण तो उन्हीं के हाथ में रहेगा ।

अब, तैल बहुत विशेषज्ञतापूर्ण व्यापार है । यह अन्य व्यापारों के समान नहीं है। और स्पष्ट बात है कि मैं तो इस बात को समझ ही नहीं सका था, जो दो एक वक्ताओं ने कही थीं कि इस से शोषण होगा । मेरे विचार में यह विषय मेरे दिमाग में ठहरता ही नहीं है क्योंकि तैल स्निग्ध होता है ! परन्तु वास्तव में मेरे समझ में नहीं आता कि इस में क्या शोषण हो सकता है कि देश में कच्चे तेल का आयात किया जाये और उसे साफ कर के विविध रूपों में और उस के गौण पदार्थों के रूप में बेचा जाये । इस के अतिरिक्त, इन करारों में कच्चे तैल के प्रयोग का अपवर्जन नहीं है। करार में ये उपबन्ध हैं कि जहां तक हमारा अपना तैल उपलब्ध होगा उसे ही काम में लिया जायेगा । वहां भी मैं पश्चिमी बंगाल के कछार के परिमाप या प्रयोग की अविवेकता के विषय में विरोध के एक माननीय सदस्य की वाग्मीयता को नहीं समझा । मेरे विचार में उन्हों ने यह सुझाव दिया था कि "हमें चाहिये कि भारतीय पूंजी को आहूत करें और उस का प्रयोग करें ।" मेरे विचार में, यदि वह ठीक है तो यह बात अनभिज्ञता के कारण कही जा सकती है, विशेषतः इस अत्यन्त विशेषज्ञतापूर्ण व्यापार तैल के विषय में । समस्त विश्व में बहुत ही थोड़े से विशेषज्ञ है जो तैल और उसके विविध पदार्थों के निकालने और प्रयोग करने के कार्य को कर सकते हैं । मैं यहां एक विशेष हवाला दे सकता हूं। हाल ही की घटनाओं से यह पता लग सकता है कि यदि कोई किसी क्षेत्र में विशेषज्ञों को रखने की संभावना को न माने तो क्या परिणाम हो सकता है। अतः इस कार्य में उन लोगों को नियुक्त करना पड़ता है जो कार्य को समझते हों। और मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि इसी प्रकार हम उन तैल श्रोतों से लाभ उठायेंगे जो परिमाप के फलस्वरूप मिल जायें, और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि इस विषय में चिन्ता की कोई बात नहीं है ।

यह विधेयक तो बहुत साधारण है। मेरे विचार से जो सामान्य आपत्तियां उठाई गई थीं उन का मैंने उत्तर दे दिया है, केवल एक बात रह गई है कि बेन्जोल आदि विषय में कुछ करारों के बारे में कुछ कहा गया था। उसका वास्तव में विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु मैंने उस करार को देखा है और जहां तक मेरा ख्याल है वह हमारे लिये इतना अलाभकारी नहीं है जितना

कि विरोधी माननीय सदस्य का ख्याल मालूम होता था ।

अब मैं फिर अधिकार वाह्य के प्रश्न को लेता हूं । मैंने अपने माननीय सहयोगी से फिर परामर्श किया है और उनके विचार में यह विधेयक अधिकार-वाह्य नहीं है और लोकहित ही अन्तर करने की पर्याप्त कसौटी होगी । और इस में एक कठिनाई और है और वह यह है कि हमें अब कुछ देर से, पता लगा है कि इन में से एक समवाय का स्वामित्व केवल एक समवाय के पास नहीं है, अपितु दो समवायों के पास है और इस कारण यह सहायक समवाय नहीं है, जैसा कि हमने अपने मूल मसौदे में या विधेयक में, जो सदन के समक्ष है, दिया है, क्योंकि किसी एक का अंश ५०% नहीं होता । अतः मुझे इस विषय में एक संशोधन रखना होगा, यदि सदन उसकी अनुमति दे । उस अवस्था में मुझे माननीय सदस्य के किसी संशोधन पर विचार करने में प्रसन्नता होगी जो वे किसी भ्रान्ति को या न्यायालय की शरण लेने की संभावना को दूर करने के लिये रखना चाहें । अतः इन शब्दों के साथ मैं सदन से मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिय कहूंगा ।

यहां जो बातें कही गई हैं उन सब को मैंने ध्यान में रखा है और वे बहुत उपयोगी हैं और हम निश्चय ही उनका ध्यान रखेंगे, विशेषतः कारखानों के स्थान के प्रश्न का और उस प्रश्न पर हम बहुत विचार कर रहे हैं कि स्थान दूर दूर हो ।

श्री नम्बियार : क्या मैं कोई जानकारी मांग सकता हूं ? क्या ये समवाय भारत में लागू श्रम-विधानों से विमुक्त होंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार में तो ऐसा नहीं है । वे विमुक्त नहीं हैं । करार में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वे श्रम-विधान से विमुक्त होंगे ।

प्रश्न उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ ।

खंड २ - (धारा ९१ ख का संशोधन)

श्री वेंकटारमन और डा० पी० एस० देशमुख ने अपने संशोधन पेश नहीं किये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ पर ७ से १८ तक पंक्तियों के स्थान पर यह खंड रखा जाय :

"4 Notwithstanding anything contained in this section, if in the case of any public Company the Central Government is of opinion that it would not be in the public interest to apply all or any of the prohibitions contained in sub-section (1), the Central Government may direct, by notification in the Official Gazette, that this section shall not apply to any such public Company or shall apply thereto, subject to such exceptions, modifications or conditions as may be specified in the notification."

[(४) इस धारा में किसी बात के होते ए भी, यदि किसी सार्वजनिक समवाय के विषय में केन्द्रीय सरकार

[श्री सी० डी० देशमुख]

की यह राय हो कि उपधारा (१) में अंतर्विष्ट प्रतिषेधों में से सब को या किसी को लागू करना लोकहित में नहीं होगा, तो केन्द्रीय सरकार, शासकीय सूचनापत्र में अधिसूचना निकाल कर, यह निदेश दे सकती है कि यह धारा, ऐसे किसी समवाय पर लागू नहीं होगी अथवा उस पर ऐसे उपवादों, रूपभदों या शर्तों के अधीन लागू होगी जो अधिसूचना में उल्लिखित हों।"]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह अत्यधिक व्यापक नहीं है ? हो सकता है कि दो समवायों के पास ५१ प्रतिशत अंश न हों परन्तु फिर भी एक समवाय के पास अन्य कुछ अंश हों, उस स्थिति में वह सहायक समवाय नहीं होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : हम उस सहायक समवाय के विषय को छोड़ ही रहे हैं । हम उसे सामान्य भाषा में रख रहे हैं, यद्यपि मंशा यही है कि उसे ऐसे विशेष मामलों में लागू किया जाये जहां लोकहित का अनुसेवन हो । और यह विशेषज्ञ समिति की सिपारिशों से अधिक संगत है । उन्होंने सहायक समवायों की ओर निर्देश नहीं किया है । हमारा पहले यह उद्देश्य था कि उसे यथासंभव निर्बंधित किया जाये, परन्तु हम देखते हैं कि हम उसे तब तक नहीं रख सकते जब तक कि हम नियंत्रक हितों का कोई खंड न रखें । और नियंत्रक हित क्या है यह परिभाषित करना बहुत सरल नहीं है और नियंत्रक हित का प्रयोग दोनों समवायों द्वारा मिल कर किया जाये यह सुनिश्चित करना भी बहुत सरल नहीं है, और हमारे समक्ष वाक्य विन्यास की कठिनाई आ जाती है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तावित संशोधन में शब्द 'that' (कि) के पश्चात्, जहां वह शब्द प्रथम बार आया है, यह शब्द प्रविष्ट किये जायें :

"having regard to the desirability of establishing or promoting any new trade, industry or business."

["किसी नये व्यापार, उद्योग या कारबार को स्थापित करने या प्रोत्साहित करने की अभीष्टता को ध्यान में रखते हुए "]

श्री सी० डी० देशमुख : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या वे अधिसूचनाएं सदन के समक्ष रखी जायेंगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : हम जो विनिश्चत करेंगे उसे सदन के पटल पर रख देंगे ।

श्रीमान्, 'नये' शब्द के कारण हमें कठिनाइयां हो सकती हैं । मेरे विचार में 'किसी' शब्द अधिक अच्छा है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : आप उसे रख सकते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में माननीय मंत्री का संशोधन उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

संशोधित रूप में खंड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड १, शीर्षक ओर अधिनिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिय गये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

श्री एच० ऐन० मुखर्जी : मुझ इस प्रस्ताव का विरोध करना है। इस विधेयक को स्वीकार करने पर हम बहुत कठिनाई में पड़ जायेंगे। यह तो प्रारंभ ही है परन्तु हमारे देश के आर्थिक हितों पर इससे बहुत आधात पहुंचने लगा है। जब माननीय श्री देशमुख पूंजीवाद की बात करते हैं तब वे यह देखते नहीं कि सम्पूर्ण राष्ट्र में एक परिवर्तन होता जा रहा है और उस परिवर्तन को हमें सरकार की कार्यवाही में निहित करना है। हम बहुत सी विदेशी पूंजी के आने के लिये द्वार खोल रहे हैं और उन्हें इस बात में कोई जोखिम दिखाई नहीं देता कि अमरीकी विमान कुछ स्थानों में तैल ढूंढने के लिये मंडराते रहते हैं। 'अमेरिकन रिपोर्टर' के अनुसार स्टेंडर्ड वेक्यूम तैल समवाय बंगाल कछार के ७३,००० वर्ग मील रमा कर रहा है, और वह क्षत्र हिन्द-चीन से बहुत निकट है, वह सामरिक महत्व का स्थान है। हम अमरीकी विमानों को बिना रोक टोक वहां जाने देते हैं और पता नहीं वे वहां क्या क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज अमरीकी पत्र 'कामर्स कहता है कि भारत की नीति इस देश में विदेशी पूंजी के आयात के लिय कोई रुकावट नहीं डालती और भारत के वर्तमान प्रशासन में विदेशी पूंजीपतियों को विश्वास है। देश में जिस प्रकार शांति-व्यवस्था रखी गई है वह इस बात की प्रत्याभूति है कि विदेशी पूंजी यहां निर्वाध कार्य कर सकती है। 'केपीटल' लिखता है कि चाहे भारत मध्यपूर्व के राष्ट्रवाद से कितनी भी सहानुभूति रख. वह उनके कारण अपने राष्ट्र हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने देगा। उसके मित्र जिन्हें शोषक कहते हैं उन से भारत लाभप्रद समझौते करता है, अतः दिल्ली में राजनैतिक विवेक अधिक परिपक्व है। क्या हम मिश्र तथा ईरान के इतिहास से कोई पाठ नहीं सीखना चाहते? वे सीमित सम्पत्ति-श्रोत होते हुए कुछ पग उठा सकते हैं तो हम इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम इन विदेशी पूंजीपतियों के तौर-तरीकों से भली प्रकार अवगत हैं। डा० मुखर्जी ने हमें बताया है कि आसाम तैल समवाय भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हैं। डिग्बोई में उसी की चलती है भारत सरकार की नहीं, जैसे दक्षिण ईरान में पहले आंगल-ईरानी समवाय की चलती थी। पूंजीवाद सहसा बदल नहीं सकता। पंच-वर्षीय योजना कोलम्बो योजना का अंग मात्र है, जिसका उद्देश्य हमारे देश में कृषि-विकास ही है। पर वित्त मंत्री दूर की नहीं सोच सकते, जनके हाथ बंधे हैं। वे परिवर्तनशीलता को नहीं पहिचानते। वे गतिहीन रहना चाहते हैं।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : हमें राजनैतिक स्वतंत्रता मिल गई है परन्तु आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। हम यहां जो विधेयक पारित कर रहे हैं वे हमें आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं। इन पूंजीपतियों को यहां सहायक समवाय स्थापित करने का अवसर देकर, हम अमरीकी पूंजी के शिकंजे में अधिकाधिक प्रवेश कर रहे हैं। मुझे १९४४ या ४५ में अमरीका और यूरोप में सद्भावना मिशन के साथ भेजा गया था और हमनें देखा कि तैल अनुसंधान का कार्य बहुत पेचीदा बन गया

[श्री मेघनाद साहा]

है। मैं ने और मेरे वैज्ञानिक मित्रों ने लौट कर भारत सरकार को प्रतिवेदन दिया था कि हमें अपने नवयुवकों को इस विषय का प्रशिक्षण देने के लिये एक केन्द्रीय भू-भौतिक प्रयोगशाला खोलनी चाहिये। उस पर तो कोई कायवाही नहीं की गई और अब हम इन विदेशी समवायों को यहां बुला रहे हैं। वे सभी विशेषज्ञों को अमरीका से बुलायेंगे और कहेंगे कि भारतीय इस चीज़ को सीख नहीं सकते। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं कहता हूं कि यह सर्वथा गलत है। हमारे विद्यार्थी इस विषय को अमरीका से पढ़ कर आये हैं, और यदि उन्हें आधुनिक कलें दे दी जायें और देश में केन्द्रीय भू-भौतिक प्रयोगशाला खोल दी जाये तो उन लोगों के लिये देश में तैल का पता लगाना कठिन नहीं होगा।

मैं ने १९४६ में एक भाषण में कहा था कि यदि सौद अरब में ५००० से ६००० फुट नीचे तैल है तो बंगाल के मैदान में भी होगा ही। यदि हम अपने ही लोगों की सहायता से उसे खोजना आरम्भ कर देते तो आज विदेशी समवायों पर आश्रित न रहना पड़ता। हमें अपने लोगों की शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिये जिससे हमारे विशेषज्ञ काम सीख सक और हम विदेशियों पर निर्भर न रहे।

यह कहा गया है कि अमरीकी ही तैल के खोजने के महान कार्य को कर सकते हैं। परन्तु जर्मनी ने युद्ध काल में बीस लाख टन तल प्रतिवर्ष निकाला है और मुझे पता है कि जर्मन कारीगर अमरीकी कारीगरों से बहुत सस्ते हैं। उन्हें काम सौंपा जाता तो बहुत सस्ता होता। हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम वैसा ही साम्राज्यवाद होगा जो अमरीका ने तेल-समवाय के बहाने मेक्सिको पर लादा था और वह देश पचास वर्ष तक अमरीका का उपनिवेश बना रहा था। अमरीका से ही लिपिकतम भी बुलाये जाते थे। आज भी हमारे देश के यूरोपीय समवायों का यही हाल है। भारतीय पी० एच० डी० के ऊपर विदेशी बी० एस० सी० को रखा जाता है और चार पांच गुना वेतन दिया जाता है स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व भी ऐसी स्थिति नहीं थी। इस प्रकार हमारी पूंजी बाहर जा रही है। वित्तमंत्री से मेरी प्रार्थना है कि इसकी जांच करने के लिये एक समिति बनायें। हमारी आर्थिक-नीति में परिवर्तन आवश्यक है, यदि विदेशियों पर आश्रित रहेंगे तो हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी।

श्री सी० डी० देशमुख: जैसा कि मैंने बताया है, हमने तीन करार किये हैं और इन समवायों ने यहां अंशार्वजनिक सीमित समवाय आरम्भ कर दिये हैं जिससे कि वे करारों के अधीन अपने कार्य की अभिपूर्ति कर सक या ऐसा करना आरम्भ कर सकें। अतएव अंतिम वक्ता माननीय सदस्य के मुंह से जो निसंदेह मान्य बातें निकली हैं वे भविष्य में कोई बातचीत आदि करते समय ध्यान में रखन के लिये चेतावनी मात्र समझी जा सकती है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सम्बद्ध मंत्री इन पर विचार करेंगे।

जहां तक इस विधेयक का सम्बधन है, जैसा कि मैं कह चुका हूं, प्रश्न बहुत सीमित है। प्रशिक्षण के विषय में उन्हों ने लगभग उन्हीं बातों का समर्थन किया है जो माननीय डा० एस० पी० मुखर्जी ने कही थीं। मैं करार के उस उपबन्ध को

ही पढ़ देता हूं जो प्रशिक्षण के विषय में हैं। यह उन में से एक समवाय के साथ किये गये करार में से है :—

"यह सुनिश्चित रहेगा कि भारतीय समवाय भारतीयों को, तैल-शोधन कार्य में, शोधनालयों में नियोजित करने के लिये, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करेगा, और प्रबन्ध-मंडल के अधिकार के अधीन रहते हुए, भारतीयों को सभी कार्यों में नौकर रखेगा जहां भी अर्ह भारतीय उपलब्ध हों।"

मेरे विचार में इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि वे भारतीयों को केवल लिपिक के रूप में ही रखेंगे, और हम भी यह ध्यान रखेंगे कि भारतीयों को—अर्ह भारतीयों को सभी स्तरों पर रखा जाये जिन में लिपिक स्तर भी सम्मिलित है।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं, वह है, यहां की तथा मध्यपूर्व की परिस्थितियों की तुलना का प्रश्न। अभी तक हमें कच्चा तैल मिला ही नहीं है। आसाम में कुछ है, परन्तु उसका प्रतिशत बहुत कम है, अतएव मध्यपूर्व और हमारी स्थिति में कोई समता नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या सरकार ने कच्चा तैल खोजने का कोई प्रयत्न किया है।

श्री सी० डा० देशमुख : प्रयत्न किये जा रहे हैं। विवाद यह था कि उसे ढूंढने के लिये क्या उपाय अपनाये जायें। हम इससे इंकार नहीं करते कि प्रयत्न किये गये थे। हमें कहा गया था कि किसी अन्य तरीके से प्रयत्न किया जाये। यह बात तो सुनिश्चित है कि प्रयास किया जा रहा है, और जैसा कि मैंने अपनी पूर्ववर्ती वक्तृता में कहा था, हम जब भी कच्चा तैल ढूंढ लेंगे तब वे समवाय उसका प्रयोग करने के लिये बाध्य होंगे। अतः मैं इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती कि हमें कच्चा तैल प्राप्त हो तब तक हम तैल-शोधन का कार्य सीख लें। जैसा कि मैं कह चुका हूं मध्य पूर्व के कुछ देशों में अवस्था कुछ और थी। वहां पर यह तो ज्ञात ही है कि तैल उपलब्ध है, केवल शोधन का ही प्रश्न था, कि उस तैल का शोधन कोई विदेशी समवाय करे या कोई राष्ट्रीय समवाय करे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रबन्धों से हमें कच्चे तैल के जखीरों का पता लगाने की कला को पहले ही सीखने का अवसर मिल जायेगा। इस समय तो मेरे विचार में यहां जो तैल साफ किया जायगा वही हमारे प्रयोजनों के लिये पर्याप्त होगा, परन्तु अनुभव से पता लगता है कि हमारी तैल की खपत प्रतिवर्ष लगभग पांच दस प्रतिशत बढ़ जाती है, अतः जब नये स्रोतों का पता लगेगा तब तक उन से लाभ उठाने के नये साधन भी पता लगा लिये जायगे। वह कोयले से निकलने वाले तेल पर भी लागू है। इस समय मुझे बताया गया है कि कोयले का तैल इतना सस्ता नहीं पड़ेगा जितना कि कच्चे तैल को साफ करके प्राप्त किया हुआ तैल होगा। परन्तु यह हो सकता है कि यह स्थिति स्थायी न रहे। ऐसे आविष्कार हो सकते हैं जिन से कोयले के तैल की लागत कम हो जाय, और तब उस से लाभ उठाने के लिये यंत्र स्थापित करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता।

डा० एस० पी० मुखर्जी : कोयले से तेल निकालने के विषय में जो पूर्ण योजना बनी थी उसका क्या हुआ ?

श्री सी० डी० देशमुख : वह कई बार योजना आयोग के समक्ष पेश हुई, और अंततोगत्वा यह पता लगा कि कोयले से तेल प्राप्त करना हमें अन्य उपायों से महंगा पड़ेगा। एक समय यह प्रश्न उठा था—पता नहीं कि माननीय सदस्य हम छोड़ यथ

[श्री सी० डी० देशमुख]

उससे पहले या बाद में—कि हमें तेल-शोधन के यंत्र लगाने चाहिये या कोयले से तेल निकालना चाहिये। फिर एक और पहलू भी था कि कच्चा तेल जमा करना आसान है परन्तु कायला जमा करना सरल नहीं है।

डा० एस०पी० मुखर्जी : आप दोनों ही बना सकते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा आशय यह है कि कच्चे तेल के पक्ष में यह लाभ है। परन्तु उस दूसरी उपयोजन को सदा के लिये स्थगित नहीं किया गया है। यदि उससे अधिक लाभ होने की सम्भावना हो जायेगी तो मुझे सन्देह नहीं है कि हम उस के लिये इस योजना में तो नहीं, अगली योजना में कोई गुंजाइश निकाल सकेंगे।

मुझ दुःख है कि मैं केन्द्रीय भूभौतिक प्रयोगशाला की स्थापना के विषय में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उसका पता नहीं है। मैं माननीय सदस्य की बात का उत्तर देने में असमर्थ हूं। उनकी पारंगतता को देखते हुए मैं कल्पना कर सकता हूं कि ऐसी प्रयोगशाला के स्थापित करने में बहुत लाभ होगा जहां कि हम अपने आदमियों को प्रशिक्षित कर सकें ताकि हम उत्तरोत्तर आत्म-निर्भर बन सकें। मैं तो केवल यही कर सकता हूं कि इन बातों की ओर सम्बद्ध मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कर दूंगा।

अन्ततः, न वित्त मंत्री ही और न सरकार ही ऐसी गतिहीन है जैसा कि विरोधी माननीय सदस्य कल्पना करते हैं। मैं अपनी ओर से कह सकता हूं कि, मेरी समझ में नहीं आता कि हम एक सौजन्यपूर्ण क्रान्ति का सामना करने के लिये क्यों न तैयार रहें। यह तो आपकी क्रान्ति की परिभाषा पर निर्भर है। हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान कि हम परिवर्तनशील युग में रह रहे हैं। योजना आयोग ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की ओर निर्देश किया है, तो उस का अर्थ ऐसी मिश्रित व्यवस्था से नहीं है जिस में मिश्रण का अनुपात नियत हो। यह अनुपात बदलते भी रह सकते हैं। हमारे देश में, जिसका बहुत ही कम उद्योगीकरण हुआ है, इतना विस्तृत क्षेत्र है जिसमें राज्य अधिकाधिक अभिरुचि ले सकता है, कि मुझे सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्रों में कोई हित संघर्ष दिखाई ही नहीं देता। यह बात नहीं है कि हम भविष्य में प्रत्येक नये औद्योगिक कार्य के लिये पूंजीवाद का आश्रय लेने के लिये ही बद्ध हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपने प्रस्ताव का सदन में समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय पत्तन अधिनियम १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह बहुत साधारण विधेयक है जिसका उद्देश्य भारतीय पत्तन अधिनियम, १९०८ की दो धाराओं, धारा १४ और धारा ३१ को संशोधित करना है।

१२ मध्याह्न

पहली धारा उस वास्तविक व्यय की वसूली के विषय में है जो पत्तन प्राधिकारी,

किसी जलयान के, जो डूब गया हो या टूट गया हो या पत्तन में फंस गया हो, सामान को बचाने पर करते हैं। वर्तमान उपबन्ध यह है कि ऐसे मामले में, पत्तन प्राधिकारी उस बचाये हुए सामान को सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच सकते हैं और उससे प्राप्त मूल्य में से लागत वसूल कर सकते हैं। परन्तु इसका कोई उपबन्ध नहीं है कि यदि उस से लागत भी वसूल न हो तो क्या होगा। अब संशोधन में यह उपबन्ध है कि ऐसे मामले में, शेष राशि उस जलयान के स्वामी से प्राप्त की जा सकेगी, और ऐसा करना बहुत आवश्यक है। अभी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिस में कि सामान निकालने की लागत उस के बिक्री-मूल्य से अधिक हो परन्तु भविष्य में ऐसा होना संभव है। अतः अब एक संशोधन करके यह उपबंध किया जा रहा है कि कमी का दायित्व जलयान के स्वामी पर होगा। 'सामान निकालने की लागत' में २० प्रतिशत अभिभार भी जोड़ना चाहिये। केवल वही राशि वसूल नहीं करनी है जो वास्तविक लागत है, परन्तु उससे २० प्रतिशत अधिक राशि वसूल करनी होती है।

धारा १४ पर दूसरा संशोधन यह है। इस समय धारा में यह उपबन्ध है कि यदि सम्पत्ति गलने सड़ने वाली हो तो उसे तत्काल बेच दिया जायगा, परन्तु यदि वह गलने-सड़ने वाली वस्तु नहीं है तो उसे छै मास तक नहीं बेचा जाना चाहिये। अब यह प्रस्थापना है कि छै मास के स्थान पर एक मास कर दिया जाये। यदि एक मास पर्याप्त नहीं है तो अवधि को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसे बढ़ाने से रोकने वाली कोई बात अधिनियम में नहीं है। एक दो संशोधन आये हैं जिनमें दो मास, तीन मास आदि के सुझाव दिये गये हैं। मैं समझौते के रूप में दो मास को स्वीकार कर लेता हूं। यह सदा निहित है कि यदि दो मास पर्याप्त न हो तो पत्तन प्राधिकारी समय को बढ़ा भी सकते हैं।

धारा ३१ में इस शर्त का निर्देश है कि जब कोई जलयान, जो विशेष टन-तोल से कम हो या विशेष टन-तोल से अधिक हो पत्तन क्षेत्र में आये, तो वह पत्तन प्राधिकारियों द्वारा दिया गया एक पथ-प्रदर्शक अपने साथ लेगा जिस से वह पथ-प्रदर्शक उस जलयान का जलपथ से सुरक्षितता के साथ मार्ग-प्रदर्शन कर सके। उदाहरण के लिये हुगली नदी को ही लीजिये, हम जानते हैं कि उसमें भयानक स्थान हैं जहां जल कम होता है। जब तक कोई पथ-प्रदर्शक न हो तब तक कोई नौ-परिवहन होने देना सुरक्षित नहीं है। जलयान का कप्तान सभी कठिनाइयों से शायद अवगत न हो। अतः यह व्यवस्था की गई है कि जलयान पर एक पथ-पदर्शक रखा जायेगा। वर्तमान उपबन्ध यह है कि यदि टन-तोल २०० या अधिक हो तो, जलयान को पथ-प्रदर्शक की अपेक्षा होगी। यदि टन-तोल २०० से कम हो परन्तु १०० से अधिक हो तो पत्तन-प्राधिकारियों के प्राधिकार से पथ-प्रदर्शक के बिना काम चलाया जा सकता है। अब वही उपबन्ध कल-चालित जलयानों, वाष्प-जलयानों आदि पर भी लागू किया जा रहा है। अब इस संशोधन द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि वह उपबन्ध १०० टन से कम के कल-चालित जलयानों पर भी लागू होगा।

इस विधेयक में यही उपबन्ध करना उद्दिष्ट है। मुझे आशा है कि इस विधेयक को और अधिक बहस के बिना ही स्वीकार कर लिया जायेगा। मैं खंड २ (क) में वह संशोधन स्वीकार कर लूंगा जिसका उद्देश्य अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (२) में 'छै मास' के स्थान पर 'दो मास' रखना है।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के जानकार के रूप में बोलने नहीं खड़ा हुआ हूं । यदि किसी दैविक विपत्ति के कारण अथवा दुर्घटनावश कोई जलयान नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है या यान के स्वामी की भारी हानि होती है तो, यदि वह दुर्घटना आपके पत्तन पर हो तो आप उससे यही नहीं चाहते कि वहां जो कुछ बच गया है उसमें से आपको कुछ दे, प्रत्युत आप उससे अतिरिक्त व्यय भी मांगते हैं जो आपने उसके सामान को निकालने पर किया है । इसका अर्थ यह हुआ कि जब भाग्य ने उसे मारा है तो आप उस पर एक और भी प्रहार करना चाहते हैं। आप ऐसी विधि बनाते समय उसके दुर्भाग्य की चिन्ता चाहे न करें, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि भी यही है कि स्वामी को वह अतिरिक्त व्यय देना पड़ेगा जो मलबा साफ करने में लगा है । हो सकता है कि व्यय बहुत भारी हो, और यह उसके वश की बात भी नहीं है । मैं इस पर प्रकाश चाहता हूं.....

छै मास की अवधि को लम्बा बनाया गया है, परन्तु हो सकता है कि वह सम्बद्ध व्यक्ति भारतीय नहीं, विदेशी हो, तब यह कालावधि शायद लम्बी नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं अनुभव करता हूं कि माननीय मंत्री ने जो संशोधन रखा है वह नष्ट होने वाले जलयान के स्वामी के प्रति बहुत कठोर है । मैं श्री राघवाचारी से इस बात पर सहमत हूं । जिसका जलयान डूब जाय उससे शेष खर्च मांगना.....

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर उस खर्च को कौन देगा ? सामान्य करदाता । किसी को तो देना ही है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : उस पर मैं अपनी राय नहीं देना चाहता । खर्च का कारण अधिकारियों की असावधानी हो सकता है, जिसके लिए जलयान स्वामी क्यों उत्तरदायी हो ? मान लीजिये उस जलयान के दो स्वामी हों तो यह कौन विनिश्चय करेगा कि वे किस अनुपात में धन दें । हो सकता है कि जलयान डूबने का कारण पत्तन पर कोई असुविधा ही हो । अपने जलयान को स्वयं कौन डुबाना चाहता है ? अतः जलयान स्वामी से व्यय मांगना कठोरता है और औचित्यपूर्ण नहीं है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि नीलाम के समय को छै से एक मास कर दिया जाये । मैं ने एक संशोधन भेजा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री 'दो मास' स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : फिर तो ठीक है । यह अवधि बहुत कम है...

उपाध्यक्ष महोदय : जितनी अवधि अधिक होगी, उतना ही व्यय भी बढ़ जायगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : फिर अधिकार का भी उपबन्ध है कि जलयान स्वामी से २० प्रतिशत अधिक मांगा जाय । पता नहीं इसके जोड़ने का क्या कारण है..... (बाधा) ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रस्थापना की है कि हानि की वसूली के मामले में इस अधिकार को जोड़ना अपेक्षित नहीं है । विक्रय मूल्य से घटाते समय ऐसा हो सकता है ।

श्री गुरुपादस्वामी : इस विषय में मेरा निवेदन है कि जलयान का बीमा तो हुआ ही होगा, अतः बीमा समवाय से उस कमी को पूरा करने के लिए क्यों न कहा जाय ?

मेरा अंतिम निवेदन यह है कि यदि कोई विदेशी जलपोत हमारे पत्तन के निकट डूब जाये, तो क्या भारतीय पत्तन अधिनियम उस पर लागू होगा ? क्या इस विषय में हम पर अंतराष्ट्रीय समुद्र नौ वहन विधियां लागू नहीं हैं ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़—पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध इस प्रश्न से है कि अगर कोई जहाज पोर्ट (पत्तन) में आकर खराब हो जाय या डूब जाय और उस को दुरुस्त करने में या साफ करने में जो खर्चा हो वह खर्च नीलाम करने से न पूरा हो सके तो जितनी कमी पड़े उस कमी की वसूलयाबी का कोई प्रबन्ध होना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसा संशोधन लाया जाय । लेकिन यह एक बड़ी आपत्ति का समय होता है जबकि किसी का जहाज़ डूब जाय । इतना बड़ा नुकसान हो जाय और उस नुकसान को पूरा करने के लिये जहाज़ भी बिक जाय, नीलाम हो जाय और फिर भी पूरा खर्चा न वसूल हो और मालिक को अपने घर से देना पड़े तो इसमें सन्देह नहीं कि और कोई उसका जिम्मेदार नहीं हो सकता । देना तो उस को ही है जो जहाज़ का मलिक है । उसने उस जहाज़ से बहुत कुछ पैदा किया, उसको इस्तेमाल किया, अब उसको देना पड़ता है तो उसको देना ही चाहिये । अगर वह न दे तो खर्च तो होता ही है, वह खर्च किसी न किसी के जिम्मे लगेगा ही, ऐसी हालत में सिवा टैक्स-पेयर के और किस के जिम्मे वह लग सकता है । इस वास्ते उसकी आदायेगी की जिम्मेदारी टैक्स पेयर (करदाता) पर हो यह मुनासिब नहीं है । जहाज़ चलाने वाले बड़े बड़े मालदार लोग हुआ करते हैं और थोड़ा सा खर्च दे देना उनके लिये बहुत कठिन नहीं हो सकता है ।

लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि उनको जो समय अदायगी के लिये दिया जा रहा है वह बहुत कम है । ऐसी आपत्ति के समय में यह कहना कि एक महीने के अन्दर वह सारा रुपया दे दे, नहीं तो और तरीकों से, जिनको कोअर्सिव मेजर्स (दबाव डालना) कहा जा सकता है, वसूल किया जाय यह मुनासिब नहीं है । अभी माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि वह एक महीने के बजाय दो महीने कर सकते हैं । अब जो मैं पेश करना चाहता था उसको सुन कर माननीय मन्त्री जी कहेंगे "अरे भाई, फ़र्क ही क्या रह जाता है दो महीने में और तीन महीने में ।" सम्भव है वह यही जवाब दें लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो दो महीने की तजवीज की है उसको तीन महीने कर देने से कुछ थोड़ा सा सहारा हो जाता है । केवल थोड़ा समय मिल जाता है नहीं तो इस में कोई वसूल का सिद्धान्त की बात नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि एक महीने में कोई विपत्ति नहीं आ जाती है इसलिये जो समय है उसको एक महीने की बजाय तीन महीने कर दिया जाय ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता था वह यह है कि अगर किसी शख्स का जहाज़ खराब हो जाय, डूब जाय या ऐसी हालत में हो जाय और उसका कोई दावेदार न हो, और अगर दावेदार हो भी तो जो मुनासिब खर्च हो उसके देने के लिये तैयार न हो, समय के अन्दर, तो उसके लिय इसमें यह संशोधन किया जा रहा है । अब तक यह होता था कि जो जायदाद जल्दी खराब होने वाली नहीं होती उसके लिये छै महीने का वक्त दिया जाता था कि उसके बाद वह नीलाम हो । उसकी बजाय आपने इसमें एक महीना दिया है । इस सम्बन्ध में मेरा

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

निवेदन यह है कि यह एक महीने का समय अपर्याप्त है। पहले तो इसके लिये छः महीने का वक्त रखा था और वह काफ़ी सोच समझकर रखा था। जब कभी ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो थोड़ा समय लगता है और कई दावेदार खड़े हो सकते हैं, कभी कभी दावेदारों में भी झगड़ा पड़ जाता है। फिर आपने मुनासिब खर्च, रीजनेबल एक्स्पेन्सेज़ की बात कही है इस को तय करने में भी समय लग सकता है। लेकिन इस में पूरा समय जो दिया जा रहा है वह एक महीने का है, अगर उसके अन्दर मुनासिब खर्च नहीं दिया जाता है तो जायदाद नीलाम कर दी जायेगी। पहली बात तो यह है कि मुनासिब खर्च तय करने में समय लगेगा, दावेदारों के बीच झगड़ा पड़ सकता है कि यह आदमी सही दावेदार नहीं है या वह आदमी सही दावेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में जो यह छः महीने का समय रखा गया था, मुझे ऐसा जान पड़ता है बहुत मुनासिब समझ कर रखा गया था। लेकिन अगर आप इतना समय न दे कर तीन महीने का भी रख दें तो यह मुनासिब समय होगा।

मैं चाहूंगा कि यह दो संशोधन इस बिल में कर दिये जायें। और जो चीज़ें इसमें हैं वह बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इस वास्ते इसके लिये प्रबन्ध हो जाय कि जहां खर्च की कमी पड़े तो उसको मालिक से वसूल किया जाय। मैं समझता हूं कि ऐसे समय बहुत कम आयेंगे जब कि यह करना पड़े क्योंकि जहाज़ बहुत बड़ी चीज़ है और इतना सामान उसमें से निकल सकता है कि नीलाम करने से खर्च की वसूलयाबी हो सके। मगर सम्भव है कि कोई ऐसा मौक़ा आ जाय महज़ इसके लिये यह प्रबन्ध किया जा रहा है। मैं फिर कहूंगा कि जहां तक समय का सम्बन्ध है वह तीन महीने कर दिया जाय तभी उन लोगों को सहूलियत मिल सकती है और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो सकता है।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्): नई उपधारा (४) में, यह संरक्षक पर ही छोड़ दिया गया है कि जहाज़ के स्वामी से क्या अधिकाई खर्च मांगा जाये। यह अनुचित है क्योंकि वह तो पत्तन प्राधिकारी का नौकर है। उसे इस मामले में निर्णायक अधिकार दे दिया गया है और जांच करवाने के लिये कोई प्रक्रिया नहीं रखी गई है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिये कि राशि निर्धारित करने से पूर्व जलयान स्वामी को लिखित सूचना दी जाये और अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर दिया जाये। विधि, दोष और उपेक्षा के प्रश्नों पर विचार करके ही इस मामले का विनिश्चय करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में माननीय सदस्य के ये तर्क नियमानुकूल नहीं हैं। पत्तन छोटा स्थान होता है। यदि वहां टूटे जहाज़ पड़े रहें तो नये जहाज़ों के लिये स्थान न रहेगा। या तो जहाज़ का स्वामी उस मलबे को हटाये या संरक्षक हटायेगा। यदि स्वामी को हटाना पड़ेगा तो उसका भी वैसे ही खर्च होगा। संरक्षक उसे इस लिये हटाता है कि अन्य जलयानों के लिये स्थान बनाना होता है। स्वामी यह भी आपत्ति कर सकता है कि सामान को उच्चतम भावों पर नहीं बेचा गया है। माननीय सदस्य के तर्क अनियमित हैं।

श्री बिश्वास: धारा ५७(१) में ऐसा लिखित उपबन्ध है कि यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये कि किसी मामले में क्या राशि दी जानी है, तो किसी

विवादी दल द्वारा इस प्रयोजन के लिये आवेदन पत्र देने पर दंडाधीश द्वारा इस का निर्धारण किया जायेगा ।

डा० कृष्णस्वामी : यदि पत्तन प्राधिकारियों के दोष के कारण कोई जहाज़ डूब जाये तो खर्च कौन देगा ? जलयान-स्वामी से एक मास के अंदर ही तत्काल भुगतान करने के लिये तो नहीं कहना चाहिये, वह अत्यन्त मनमानी होगी । यदि जहाज़ का बीमा हो गया है तो बीमा समवाय को भुगतान करना होगा, परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि इन मामलों में संरक्षक ही न्यायधीश हो ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या इन कठोर उपबंधों का हमारे जहाज़ उद्योग पर गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री बिश्वास : इस सरल विधेयक पर जो वक्तृताएं दी गई हैं उन पर मुझे आश्चर्य सा है । मुझे प्रत्याशा नहीं थी कि इसे पारित करवाने में दस मिनट से अधिक लगेंगे । इस से यही प्रकट होता है कि जो माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने मौलिक अधिनियम को पढ़ने का कष्ट नहीं किया है, उस में वह सभी उपबन्ध हैं जो वे चाहते हैं ।

स्वामी को भार का भुगतान करने में जो कठिनाई होगी उस पर बहुत कुछ कहा गया है । एक सदस्य ने पूछा : उस भार को बीमा समवाय क्यों न दें ? मेरा भी तो यही कहना है कि स्वामी जो कुछ देगा वह बीमा समवाय से वसूल कर लेगा । यदि जलयान का बीमा हुआ है तो भार अंततोगत्वा स्वामी पर नहीं पड़ेगा, अपितु बीमा समवाय पर पड़ेगा । अतः इस भार की वसूली का प्रश्न स्वामी तथा बीमा समवाय के बीच का प्रश्न है । धारा १४ में उपबन्ध है कि यदि कोई जलयान किसी पत्तन पर टूट जाये, फंस जाये या डूब जाये, जिस से कि उस पत्तन के नौपरिवहन में बाधा पड़े, तो संरक्षक उस जलयान को उठवा, हटवा या नष्ट करवा सकता है जिस से कि नौ-परिवहन निर्बाध बन जाये, और वास्तव में पत्तन-प्राधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि पत्तन से ऐसी सभी बाधाओं को हटवायें । उस का उपबन्ध करने के पश्चात् उस में लिखा है कि यदि इस कार्य के दौरान में कोई सम्पत्ति प्राप्त हो जाये तो, एक नियत कालावधि में उस का कोई दावेदार न होने की दशा में उसे सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा, और यदि उस विक्रय-मूल्य में से खर्च बांट कर कुछ राशि बचती है तो वह उस के दावेदार को दी जायेगी और यदि उसका कोई दावेदार न हो तो पत्तन प्राधिकारी उसे रखेंगे तथा जो उस पर अपना दावा सिद्ध कर देगा उसे दे देंगे ।

इस बात का कोई उपबन्ध नहीं है कि यदि विक्रय-मूल्य इतना पर्याप्त न हो कि समूचा व्यय उस में निकल आये तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और इसी कारण इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी है । यह पूछा जा सकता है कि जब अब तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है तो हम ऐसा उपबन्ध क्यों रखना चाहते हैं । मैं यह कह सकता हूं कि दो तीन वर्ष पहले ही विशाखापटनम में बहुत भारी बाढ़ आई थी और कई जहाज़ डूब गये थे । और हम जानते हैं कि हाल ही में कई पुराने जलयान डिस्पोज़ल से खरीदे गये हैं । कई स्वामी इस में लाभ समझ सकते हैं कि इन जहाज़ों को डुबा दिया जाये या फंसा दिया जाये और पत्तन प्राधिकारियों को उन्हें निकालने दिया

[श्री बिश्वास]

जाये, क्योंकि उन का उस से कहीं अधिक व्यय हो जायेगा जितना कि वे स्वयं निकालते तो उन्हें करना पड़ता। उन्हें कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा, अतः वे इस कार्य को पत्तन प्राधिकारियों पर ही छोड़ देना पसन्द करेंगे। क्या यह सुझाव है कि ऐसे मामलों में पत्तन प्राधिकारियों पर यह भार लाद दिया जाये।

अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्न उठाये गये हैं, और मुझ से विधि-सम्बन्धी स्थिति बताने के लिये कहा गया है। मैं जहाज-रानी या किसी अन्य विषय में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यह संशोधन संयुक्त राजतंत्र ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि के नौवहन अधिनियमों के ऐसे ही उपबन्धों पर आधारित है। संयुक्त राजतंत्र नौपरिवहन अधिनियम की एक धारा में लिखा है :

> "यदि ऐसे विक्रय से प्राप्त धन उपरोक्त भारों तथा व्ययों को पूरा करने के लिये पर्याप्त न हो तो उस विक्रय-मूल्य के ऊपर जो अधिकाई होगी वह उस जलयान के स्वामी पर भारित होगी और यदि मांगने के बीस दिन के भीतर उसका भुगतान न होगा तो उसे इस अधिनियम में आगे उल्लिखित प्रकार से शीघ्र रीति से वसूल किया जायेगा।"

यहां, हमने कहा है कि यदि स्वामी उस राशि का भुगतान धारा ५७ की उपधारा में उल्लिखित प्रकार से न करे, तो उसे दूसरे प्रकार से वसूल किया जा सकता है। मैं धारा ५७ (२) को पढ़ देता हूं। उसमें लिखा है कि जब किसी व्यक्ति को १००० रुपये से अधिक राशि देनी हो तो उसे अर्थदंड के समान वसूल किया जा सकता है; परन्तु जहां राशि १००० रुपये से अधिक हो, उसे किसी अन्य प्रकार से वसूल किया जा सकता है, अर्थात् व्यवहार-वाद द्वारा या सार्वजनिक अभियाचना वसूली अधिनियम के द्वारा यदि वह अधिनियम लागू किया जा सके। वास्तव में भुगतान की तारीख एक या दो मास ही नहीं होगी। वह बहुत बाद में भुगतान करेगा

श्री के० के० बसु (डायमंड हारबर) : जब संशोधन में यह प्रस्थापना है कि कोई कल-चालित जलयान, चाहे वह कैसा ही हो, बिना पथ-प्रदर्शक के पत्तन पर नहीं आ सकेगा तो '२०० टन से कम' इन शब्दों की क्या आवश्यकता है ?

श्री बिश्वास : यह उपबन्ध मौलिक अधिनियम में है और हम एक छोटा सा संशोधन ही रख रहे हैं जो कल-चालित जलयानों पर लागू होगा। विचार-प्रस्ताव उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

खंड २७—(धारा १४ का संशोधन)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

> "पृष्ठ १, में पंक्ति ६ तथा ७ में, one month' [एक मास] के स्थान पर 'two months' [दो मास] रखा जाये।

संशोधन स्वीकृत हुआ और संशोधित रूप में खंड २, और खंड ३, और अंततः खंड १, शीर्षक तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

श्री बिश्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं। "विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

———

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "निवारक निरोध अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

उस दिन जब मैं ने विधयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति मांगी थी तब जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उससे और बहुत से संशोधनों की सूचना प्राप्त होने से यह प्रकट होता है कि इस बिधेयक से कुछ ध्यान आकृष्ट आ है। मैं इस खयाल में था कि यह तो एक छोटा सा विधेयक है। यह बहुत सरल विधेयक है और इस के सिद्धांत पर संसद् में पता नहीं कितनी बार चर्चा हो चुकी है। इस पर उस समय चर्चा हुई थी जब कि संविधान पारित हुआ था; अनुवर्ती वर्षों में भी उस पर चर्चा हुई। और इसी लिये मैंने सोचा था कि इसे विचारार्थ प्रस्तावित करने में या सदन द्वारा पारित करवाने में अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु मैं उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों में से हूं जिन की आशाएं कभी कभी ही पूरी होती हैं; और इसलिये, मैं अब यह प्रयत्न कर रहा हूं कि आशाएं करना ही छोड़ दूं, विशेषत: इस सदन में।

क्योंकि बहुत से सदस्य इस सदन में नये हैं अत: मेरे विचार में यह ठीक ठीक बता देना अभीष्ट होगा कि संविधान के अनुसार हमारी स्थिति क्या है। यह बात प्रारंभिक सी दिखाई दे सकती है, परन्तु मेरे विचार में यह आवश्यक ही है।

संविधान में एक अनुच्छेद है जिसमें सामान्य मूल-अधिकारों के अपवादस्वरूप निवारक-निरोधका उपबन्ध है। फिर सूचियों में ——इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये—— संघ-सूची में एक मद ९ है, अर्थात् इस मामले में निवारक निरोध का उपबन्ध केवल यही सदन बना सकता है। उसमें लिखा है : "भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निवारक निरोध"; मैं इन शब्दों को दौहराता हूं "भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा।"

फिर आप समवर्ती सूची पर आइय, उसमें निवारक निरोध सम्बन्धी एक अलग ही मद है, मद सं० ३। सदन को ज्ञात है कि इस समवर्ती सूची की विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में यह सदन, अर्थात् संसद् और सम्बन्धित राज्य-विधान-मंडल भी जो उपाय समुचित समझें उन्हें पारित कर सकते हैं। समवर्ती सूची की मद ३ में लिखा है : "राज्य की (समूचे भारत की नहीं, क्योंकि उसका उपबन्ध संघ-सूची में है) सुरक्षा से, सार्वजनिक सुरक्षा बनाये रखने से अथवा समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने से (किसी राज्य विशेष में या भारत भर में) संसक्त कारणों के लिये निवारक निरोध।"

सदन देखेगा : 'किसी राज्य विशेष की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखना अथवा समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखना' ये शब्द हैं। मैं आरंभ में ही सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमने प्रत्येक राज्य सरकार से, जिसमें किसी को छोड़ा नहीं है, परामर्श किया है। यह उत्तरदायित्व प्रधानत: राज्य सरकारों का ही है कि इस देश में——मैं 'विधि-व्यवस्था' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं कहना चाहता हूं कि —इस

[डा० काटजू]

देश में शांति तथा अमन को बनाये रखें। और प्रत्येक राज्य सरकार ने सोच-विचार कर यह राय अभिव्यक्त की है कि इस प्रकार का विधेयक नितान्त आवश्यक है। उन्होंने यह राय प्रकट की है कि निवारक निरोध का विधेयक आवश्यक है। भारत के सभी राज्यों की सर्वसम्मत राय आपके समक्ष है। शुरू में ही मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि हम इसको अधिनियमित नहीं करेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। परिणाम यह होगा कि चाहे वे तीन विषयों को न छू सकें जो संघ-सूची में उल्लिखित हैं--मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं—भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य और सुरक्षा, को वे चाहे न छू सकें, परन्तु किसी राज्य को, अथवा भारत में प्रत्येक राज्य को अपने अपने लोक सुरक्षा अधिनियम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पहले भी और आज भी यह विधेयक आपके समक्ष इस लिये रखा गया है कि हम एक-रूपता चाहते हैं। हम इस विषय पर एक समन्वित सा विधान चाहते हैं, ताकि सम्पूर्ण भारत के लोगों के प्रतिनिधि इस मामले पर विचार करके उपयुक्त पथ-प्रदर्शन कर सकें।

जैसा कि मैंने कहा है, इस विधेयक की रचना करते समय मैंने प्रत्यक राज्य से परामर्श ले लिया था। अतः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात को ध्यान में रखें—विधायी क्षत्राधिकार की इस एककालिकता को।

जब मेरे माननीय मित्र डा० मुखर्जी ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगने के मेरे प्रस्ताव का विरोध किया था तब मैंने यह कहने का साहस किया था कि मैं अपनी अतीव सीमित सामर्थ्य के अनुरूप सदन का, सदन के प्रत्येक वर्ग का समाधान करने का सर्वाधिक प्रयत्न करूंगा। मैं यहां एक बार और कहना चाहता हूं कि आयात उपस्थित है, कि इस प्रकार के एक विधेयक को पारित करना वांछनीय है, और यह दुर्भाग्य की बात है कि इस विधयक के विषय में बहुत भ्रान्ति है।

आज की बैठक समाप्त होने से पूर्व, मैं इसे सर्वथा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक का लक्ष्य किसी राजनैतिक दल को क्षति पहुंचाना नहीं है, इसका लक्ष्य किसी विशेष राजनैतिक विचार-धारा का दमन नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि जहां तक मुझे ज्ञात है, कदाचित् इस समय किसी राज्य में किसी राजनैतिक दल पर कोई रोक नहीं है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमने संसार भर में अद्वितीय कार्य कर दिखाया कि जब रोक लगी हुई थी और लोग निरुद्ध थे--जिन लोगों के विषय में हम समझते थे कि वे विध्वंसक कार्यों में संलग्न थे--उन्हें भी साधारण निर्वाचन में भाग लेने का अवसर देने के लिये रिहा कर दिया गया-पूर्णतः या पेरोल पर--और उन्हें निर्वाचनों में भाग लेने दिया गया। वे जीते या हारे यह अलग बात है। (**बाधा**)। परन्तु सब इस बात का स्वीकार करेंगे कि निरोध अधिनियम ने उन्हें इन निर्वाचनों में भाग लेने से नहीं रोका, जिसका कि उन्हें नागरिक होने के नाते हक्क था।

अतएव, मैं यह बात पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक किसी राजनैतिक विचारधारा के दमन के लिये नहीं बनाया जा रहा है--मैं आज, १९५२ में यह बात कह रहा हूं।

निस्संदेह इसका लक्ष्य व्यक्तियों के प्रति है, उन व्यक्तियों के प्रति जो ऐसी कार्य-

वाहियों में संलग्न हों जो संविधान में प्रगणित हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा के परिरक्षण के लिये हमारे वैदेशिक मामलों के संचालन के लिये अथवा भारत की सुरक्षा के लिये भयानक हों। मेरे माननीय मित्र, उन में से अधिकांश—वे मेरे इस कथन के लिये मुझे क्षमा करेंगे—उस मिले जुले वर्ग के के हैं जिसमें साम्यवादी भी शामिल हैं तथा वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें 'प्रतिक्रियाशील' कहा जाता है, किन्तु मैं उन्हें दक्षिण-पक्षी कहता हूं, और राज्यों के भूतपूर्व नरेश हैं जिन्हें नागरिक स्वतंत्रताओं से नया प्यार हो गया है, और विविध प्रकारों के कई लोग हैं (उद्योगपति—छोटे भी बड़े भी), और मैं उन से कहना चाहता हूं कि वे इस बात पर कान दें। (बाधा)। कृपया बीच में बाधा मत डालिये। युक्तियों को सुनिये। यह निवारक निरोध का उपाय उन लोगों के—दलों को नहीं—लक्ष्य बना कर अपनाया जा रहा है जिन्हें हमारी प्रति-रक्षा विदेशीय कार्यों के संचालन यंत्रान तथा भारत की सुरक्षा को क्षति पहुंचाने में दिलचस्पी है। और जब आप समवर्ती सूची को लेते हैं तो वहां लोक व्यवस्था को बनाये रखने का प्रश्न है। फिर, राज्य की सुरक्षा या समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने का प्रश्न है।

बाहर यह धारणा प्रतीत होती है—पता नहीं क्यों—कि इस निवारक निरोध अधिनियम का लक्ष्य राजनैतिक दल हैं—विशेषतः साम्यवादी। (एक माननीय सदस्य : यह उनके विरुद्ध प्रयुक्त हुआ है।) आज सभा को उन साम्यवादियों की संख्या जान कर आश्चर्य होगा जो वस्तुत निरुद्ध हैं—मैं हैदराबाद को छोड़ देता हूं। (कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?) क्योंकि उसकी कहानी अलग है और यदि मैं उसे ले बैठूंगा तो उस पर कुछ समय लग जायेगा। हैदराबाद को छोड़ कर साम्यवादियों की कुल संख्या ११४ है—मैं वे आंकड़े दे रहा हूं जो मुझे ३१ मई को मिले थे। इन में से ४१ पेरोल पर हैं, शेष रह जाते हैं ७३। इन ७३ में से ६० पश्चिमी बंगाल में हैं, जिस प्रान्त से मेरा घनिष्ट सम्पर्क है। (बाधा) खैर, वे साम्यवादियों के रूप में एकत्र होते हैं, और वे साम्यवादियों से भी एक दर्जा आगे बढ़े हुए हैं, वे क्रांतिकारी दल हैं। प्रधान मंत्री कहते हैं कि वे साम्यवादी नहीं हैं। हो सकता है अब उन्हें मुक्त कर दिया गया हो। ३१ मई को वे निरुद्ध थे। यदि आप इस संख्या को घटा दें तो बारह तेरह रह जाते हैं। समूचे भारत के आंकड़ों को लेकर, हैदराबाद को निकाल दीजिये जिसकी जनसंख्या डेढ़ करोड़ है और बंगाल को भी निकाल दीजिये जिसका अर्थ कलकत्ता ही है तो निरुद्ध साम्यवादियों की संख्या तेरह रह जाती है।

इस अधिनियम का उद्देश्य साम्यवाद का दमन है। मैं साम्यवाद की बात कर रहा हूं। साम्यवादियों की नहीं। उन्हें मैं बाद में लूंगा, उन सज्जनों को मैं खूब जानता हूं। वे मेरे बहुत बड़े और प्रिय मित्र हैं। ऐसे ही अन्य निरुद्ध व्यक्ति भी हैं। सदन को इस पर ध्यान देना चाहिये। सौराष्ट्र में कई मास तक कोई शांति और अमन नहीं था। हम उस निडर भूपत सिंह के कारनामों को सुन चुके थे और दशा बहुत बिगड़ती जा रही थी और परिणाम यह हुआ कि उन्हें इसी अधिनियम का आश्रय लेना पड़ा और मेरी जानकारी के अनुसार ३१ मई को सौराष्ट्र सरकार की अभिरक्षा में ११९ व्यक्ति थे जो सभी वर्गों के थे, नरेशों से लेकर किसान, ठाकुर, जमींदार तक, और उस

कार्यवाही का, जो मेरे उन माननीय मित्रों के अनुसार इतनी अलोकतन्त्रात्मक है, प्रत्यक्ष फल यह हुआ कि स्थिति काबू म आ गई और विधि-व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई । राजस्थान में भी यही बात है । आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि राजस्थान में, विशेषत: जोधपुर विभाग में डाकुओं का बोलबाला था । हाल ही में वहां कुछ मामले हुए जिनमें पुलिस और डाकुओं में मुठभेड़ें हुईं, कई घंटों तक लड़ाई भी हुई और डाकू स्थल पर मारे गये और अब वहां १३ व्यक्ति निरुद्ध हैं । बंबई में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिये उनके पास गुंडा अधिनियम है । उसका साम्यवादियों से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु जो आपराधिक कार्यवाहियों में संलग्न हैं, उन्हें इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखा गया है और उनकी संख्या कुल मिला कर १८२ है····

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या मंत्री जी को पता है कि इस गुंडा अधिनियम' का राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रयोग किया गया है ?

डा० काटजू : मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है । माननीय सदस्य जरा मुझे बोलने दें । उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा । मैंने यह पता लगाया था कि इस निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत कितने चोर-बाजारिये निरुद्ध हैं और मुझे पता लगा है कि १५ जून १९५२ को उनकी संख्या ९३ थी । मुझे सदन के इस भाग का तो पता नहीं है परन्तु यदि सदन के उस भाग में मत लिये जायें तो कम से कम कुछ सदस्य तो यह कह ही देंगे "पहले चोर-बाजारियों को फांसी लगा दीजिये और बाद म उन पर मुकदमा चलाइये" (बाधा) । मैं किसी दूसरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है । सामान्य भावना यही है कि सरकार इस विषय में ऐसी कार्यवाही नहीं कर रही है····(बाधा) ।

जहां तक भ्रष्ट पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, उन्हें निरुद्ध कीजिये, उन पर मुकदमा चलाइये, उन्हें पेड़ से लटका दीजिये और १० वर्ष के लिये कारागृह में डाल दीजिये; उन लोगों के विषय में कोई भी नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिये तत्पर नहीं है । मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर मुखर्जी अपनी ओजस्विनी शैली में चोरबाज़ारियों के विषय में भी कुछ कहें– सभी सहानुभूति थोड़े से साम्यवादियों पर ही केन्द्रित है। अन्यथा आप अत्यावश्यक संभरणों की कौड़ी भी चिन्ता नहीं करते । क्योंकि आप इस देश में उपद्रव और अराजकता पैदा करना चाहते हैं । अत्यावश्यक संभरणों में जितना अधिक हस्तक्षेप होता है या रुकावट होती है, आप उतने ही प्रसन्न होते हैं । इस विषय में मेरा दृष्टिकोण यही है । राज्य की सुरक्षा को जितनी अधिक क्षति पहुंचती है उतने ही अधिक आप हर्षित होते हैं। मैं इस विषय पर कल बोलूंगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता–दक्षिण-पूर्व) : हम जानना चाहते हैं कि १ मार्च १९५२ से निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत कितने व्यक्ति निरुद्ध हैं।

डा० काटजू : मुझे यह जानकारी प्राप्य होगी तो आपको दे दूंगा ।

इसके पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार, १८ जूलाई १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।